

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024**

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 7 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF FSI REPORT ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	THE DETAIL OF THE SURVEYED LAND, AND PHOTOGRAPHS ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	THE PHOTOGRAPHS OF THE PROTECTIVE TRENCHES ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE H-2 CASES ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE 4	
6.	A COPY OF THESE PROCEEDINGS ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE- 5	

7.	A COPY OF SHOW CAUSE NOTICES ISSUED IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	A COPY OF TIMELINE ANNEXED HEREWITH AND MARKED as ANNEXURE-7	
9.	A COPY OF LETTER FROM REVENUE DEPARTMENT ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-8	
10.	PHOTOGRAPHS FROM GOOGLE EARTH IMAGE, STATEMENTS OF THE SURVEY TEAM, GRAM PRADHAN AND OTHERS ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURES-9	
11.	A COPY OF THE NOTIFICATION OF RESERVED FOREST U/S 4 AND 20 OF THE IFA, 1927 ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-10	
12.	A COPY OF THESE CORRESPONDENCE IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-11	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
 STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 24.05.2025
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...APPLICANT(s)

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 7 IN COMPLIANCE
OF ORDER DATED 27.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I Jag dev Singh, aged about 59 years, S/o Shri Late Badri Prasad
Posted as Divisional forest Officer, Shamli, State of U.P., do hereby most solemnly
state and affirm as under:

1. That I, Jag dev Singh, am fully conversant with the facts of the case
and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That in the present matter the Petitioner has alleged rampant deforestation
and illegal encroachment by farmers on reserved forest located in Bibipur
Jalalabad, Paoti Khurd, Dabhedi, Bibipur, Hatia, Barnawi, Akbarpur Sunheti
and Rataund villages of Shamli District, Uttar Pradesh.



3. That on the last date of hearing i.e. 27.02.2025, the Hon'ble tribunal directed the Deponent to file the present affidavit keeping in view the observations made by the Hon'ble Tribunal. The operative paragraph of the order dated 27.02.2025 is stated below:

"...4. In the affidavit, it is not mentioned how these encroachments had taken place when it was the responsibility of the forest officers to protect the reserved forest. Learned Counsel appearing for Respondent No. 7 does not dispute that it was the responsibility of the DFO, Shamli to ensure that no encroachment in the reserved forest within his jurisdiction takes place. The overall responsibility of the PCCF of the State is also not in dispute. Hence, Respondent No. 3- PCCF and Respondent No. 7-DFO, Shamli, will file an affidavit furnishing the explanation as to how the encroachment had taken place in the reserved forest and who is the official responsible for facilitating such encroachment or on whose dereliction of duties it has taken place. They will also disclose the timeline for completing the survey for identification of encroachment in the entire reserved forest land under question and clearing the encroachment. It is submitted by the counsel for Respondent No. 7 that this exercise will be completed within twelve weeks. Hence, we direct the above Respondents to take expeditious action and file the compliance affidavit, keeping in view the




observations made above, within a period of six weeks..."

4. That the actions taken and the explanations regarding the observations made by the Hon'ble Tribunal are as follows:

I. BACKGROUND AND DETAILS

5. The total area of reserve forest land in Shamli is 4341.395 hectares out of which 279.477 ha area has been notified under Section 20 of the Indian Forest Act 1927, and 4061.918 ha area notified under section 4 of Indian Forest Act 1927 is under forest settlement process.
6. The petitioner has raised question of encroachment in seven villages of forest land in Shamli forest division, which are following.

S.N.	Village name as mentioned in O.A. 915/2024	Total number of <i>khasra</i> of the forest department as mentioned in OA 915/2024	Forest land area in total <i>khasra</i> as mentioned in OA 915/2024, (in Ha)	Total forest land notified u/s 20 of IFA, 1927 (in Ha)	Total forest land notified u/s 4 of IFA, 1927 (in Ha)
1-	Bibipur Jalalabad	70	113.999	113.999	-
2-	Paoti khurd	96	127.566	127.566	-
	Total	166	241.565	241.565	-
3-	Dabhedi bijurg	64	53.471	-	53.471
4-	Ratond	43	52.106	-	52.106



5-	Akbarpur sunehti	-	-	-	-
6-	Barnavi	180	117.778	-	117.778
7-	Bibipur hatia	73	40.416	-	40.416
	Total	360	263.771	241.565	263.771
	Grand total	526	505.336	241.565	263.771

7. It is pertinent to mention here that as per ISFR 2023 issued by Forest Survey of India that the forest cover in Shamli Forest Division has increased from 1.54 percent to 1.94 percent, indicating a growth of 0.40 percent of forest cover in the Geographical area of district Shamli goes against the statement by petitioner. This clearly demonstrates the positive results of afforestation in the district.

A copy of FSI report annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1**.




8. A brief tabular summary of the key proceedings conducted to date.

S. N.	Total number of khasras of the forest department mentioned in OA 915/2024	Total area of forest in 526 Khasra number (in ha)	Total number of khasras surveyed	Total area of khasras surveyed (in ha)	Total encroachment found (in ha)	Total encroachment removed (in ha)	Action taken regarding encroached land.	Remaining khasras to be surveyed	Time required for the survey of remaining khasras of the forest department
1 -	(Total area 505.336 hectare)	1-505.336 hectare (Total forest land u/s 20 of IFA in total is 241.565 ha)	1-176 (66 khasra u/s 20 of IFA (area 116.457 hectare) (110 khasra u/s 4 of IFA in (area 83.009 hectare)	199.466	3,9010	3,7748	1-Proceeding u/s 61 (b) of the Indian Forest Act 1927 have been initiated for the remaining 0.1262 hectare which contain pakka makan/structure on forest land . 2-Departmental proceeding also has been initiated to seek an explanation from the concerned staff.	350 khasra (Area 305.87 hectare) (100 khasra u/s 20- 125.108ha) (250 khasra u/s, 4 -180.762ha)	1-177 Days (25 Weeeks) 2-In this regard, on the request of the DFO Shamli, DM Shamli has fixed a timeline for the survey process)



II. ACTION TAKEN

9. That in order to address the encroachment on the forest land as mentioned by the petitioner in the present Original Application (O.A.), the Forest Department has to conduct surveys of the khasra numbers mentioned in the said O.A. in coordination and cooperation with the Revenue Department. Any encroachment and its extent can be established only after due survey.
10. The survey team was assigned by the Tehsildar (Kairana) to carry out the survey work. Till date 12-05-2025, survey of 176 Khasra numbers has been conducted by the Forest Department and the Revenue Department. **These 176 Khasra no.(s) chalks upto 199.466 hectares. Out of the surveyed forest land i.e. 199.466 hectares, 3.9010 hectares of forest land was found to be encroached upon. It is pertinent to mention that the encroachment from 3.7748 hectares of forest land has been duly removed by the forest department and the land has been restored.** Departmental H-2 case has been issued and proceedings u/s 61(b) of the Indian Forest Act 1927 have been initiated for the remaining 0.1262 hectare reserved forest land which contain permanent (pakka) structure/makan. That the remaining area which is to be surveyed by the Forest and the Revenue Department is 305.87 hectares in 350 Khasra are to be surveyed.



S. N.	Total number of khasras surveyed	Total area of khasras surveyed (in ha)	Total encroachment found (in ha)	Total encroachment removed (in ha)
1 -	1-176 (66 khasra u/s 20 of IFA (area 116.457 hectare) (110 khasra u/s 4 of IFA in (area 83.009 hectare)	199.466	3.9010	3.7748

The detail of the surveyed land, and photographs of the same are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2**.

11. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that the restoration of the forest land is being executed by the forest department through the construction of protection trenches on the surveyed land. Furthermore, during monsoon in the month of July the Forest Department will plant saplings in this land.

The photographs of the protective trenches are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**.

12. That to remove the encroachment from the forest land, 3 H-2 (FIR) cases have been registered against 16 individuals. Details of the registered H-2 (FIR) cases are as follows:



- i. H-2 case no. 12/2024-25 dated 12.11.2024 has been registered under section 26 of the Indian Forest Act, 1927 (as amended in

2023). The case has been registered against **(i) Sunil Kumar S/o Brijpal, (ii) Jagveer S/o Raj Singh, (iii) Ramesh Chandra S/o Ratan Singh.**

- ii. H-2 case no. 13/2024-25 dated 02.12.2024 has been registered by the Forest Department under section 26 of the Indian Forest Act, 1927 (as amended in 2023) for section resume Forest land. The case has been registered against **(i) Kamal S/o Hota (ii) Hardeep Singh S/o Chain Singh (iii) Sandeep S/o Balihar Singh (iv) Ranjit Singh S/o Alamjit Singh (v) Desh pal S/o Brajpal.**

It is noteworthy to mention that in the above mentioned H-2 case no.13/2024-25, 1.8031 Ha land has been restored to the Forest Department.

- iii. H-2 case no. 17/2024-25 dated 26.03.2025 has been registered by the Forest Department under section 26 of the Indian Forest Act, 1927 (as amended in 2023). The case has been registered against **(i) Jagpal S/o Rahtu (ii) Manga S/o Rama (iii) Kavita W/o Prem (iv) Manga S/o Asha (v) Mohar Singh S/o Asha (vi) Mukesh S/o Siria (vii) Bilendra S/o Jagdish (viii) Ramfal S/o Rama.**

A copy of the H-2 cases are annexed herewith and marked as **ANNEXURE 4.**

13.Proceeding u/s 61 (b) of the Indian Forest Act 1927 have been initiated for the



remaining 0.1262 hectare land under section-20 of Reserve Forest which contain pakka makan/structure on forest land.

A copy of these proceedings are annexed herewith and marked as **ANNEXURE- 5.**

14. That subsequent to the registration of H-2 case against the above- mentioned Offenders, the Forest Department has issued notices to the offenders directing them to appear before the Department and show cause notices have been issued by the Range Forest Officer and subsequently by the Divisional Forest Officer, dated 16.05.2025, directing the alleged encroachers to appear before the Divisional Forest Officer and submit any valid documentary evidence in support of their claim over the encroached land, failing which appropriate eviction proceedings shall be initiated for the removal of encroachment from the forest land

A copy of show cause notices issued is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6.**

15. On the request of the DFO, DM Shamli has fixed a timeline for the survey process.

A copy of timeline annexed herewith and marked as **ANNEXURE-7.**



16. That protection trenches have been dug along the demarcated boundary.

17. Teams have been constituted to complete the remaining survey work.

A copy of letter from revenue department annexed herewith and marked as **ANNEXURE- 8.**

III. CLARIFICATIONS

18. That it is most humbly submitted before the Hon'ble Tribunal that any encroachment on forest land can be ascertained only after proper survey jointly by the revenue and forest department .Since the available google earth imagery is only as back from the year 2012, the Gram Pradhan of these villages and the residents have also stated that they have been living here and practicing agriculture for more than 30 years. It is difficult to ascertain the status in the period before, that. The Google data indicates that villages of Bibipur Jalalabad ,Paoti khurd ,dabhedi ,Bibipur hatia ,Barnawi were inhabited before 2012 and had been practicing agriculture.

Photographs from **Google Earth image, statements of the Survey team, Gram Pradhan and others are annexed herewith and marked as ANNEXURES-9.**

19. That in the above said circumstances, it is difficult to ascertain the official



involvement for the facilitation of any encroachments on these land.

20. That it is further submitted as per the notification of the reserved forest land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927, no specific details regarding the *Khasra* no. has been provided to the Forest Department. In the notification, boundary description of the reserved forest land are only provided. Furthermore, it is submitted that the forest department does not possess the detailed records for land area notified U/S 4 IFA, 1927 nor is there any KML file available for the same. Only upon identification of these boundaries and due survey and demarcation on the ground can the corresponding KML file be accurately generated.

21. It is respectfully submitted that for the demarcation of land notified under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927, accurate information regarding village boundaries is essential to determine the 'Sihadaa' (first reference point). Only upon identification of these boundaries and due survey and demarcation on the ground can the corresponding KML file be accurately generated. It is germane to mention here that the digitization of land record is a recent practice in the forest department which started around a decade back.

A copy of the notification of reserved forest u/s 4 and 20 of the IFA, 1927 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-10**.



22. That it is of the paramount significance to mention here that to conduct the survey properly and expeditiously, of the forest land for the identification of the encroachments by the Forest Department, continuous cooperation from the revenue department is vital. Therefore it is prayed that a suitable direction for the cooperation of the revenue department may be issued to enable the forest department to identify and remove the encroachment from the forest land in time bound manner.

23. That with the cooperation of the revenue department, the survey work can be completed in approximately 25 weeks (177 days) and the actions for removal of encroachments will be taken simultaneously, subject to unavoidable circumstances. It is imperative to mention that continuous communications were done to the district Magistrate ,district Shamli,U.P vide letters with no 519/35-3 dated 27/09/24 1013/14-1 dated,. 06/12/2024,1123/14-1 dated 17/12/2024 and 1584/14-1 dated 29/01/2025 to highlight the gravity of the matter at hand and provide the solution by deputing officials to complete the work of identification of encroachment.

A copy of these correspondence is annexed herewith and marked as ANNEXURE-11.

24. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal



25. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT

VERIFICATION

Verified at shamli on this 24 day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 25 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT



प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग /
शामली



ATTESTED
K.P. YADAV
NOTARY PUBLIC

24 MAY 2025

INDIA STATE OF FOREST REPORT 2023

VOLUME II



FOREST SURVEY OF INDIA
Ministry of Environment, Forest & Climate Change



Table 10.27.3 District-wise Forest Cover in Uttar Pradesh

District	Calculated Area by Sol	2023 Assessment				% of Calculated Area by Sol	Change w.r.t. 2021 Raster based*	Scrub
		Very Dense Forest	Mod. Dense Forest	Open Forest	Total			
Gautam Buddha Nagar	1,441.86	0.00	4.45	18.32	22.77	1.58	-0.05	0.00
Ghaziabad	891.61	0.00	7.90	13.12	21.02	2.36	0.03	0.00
Ghazipur	3,377.00	0.00	0.58	23.77	24.35	0.72	-3.86	0.00
Gonda	4,003.00	64.93	9.03	52.97	126.93	3.17	1.29	0.46
Gorakhpur	3,321.00	27.98	21.60	24.91	74.49	2.24	-2.41	0.00
Hamirpur	4,021.00	0.00	77.21	145.97	223.18	5.55	1.66	14.15
Hapur	1,106.67	0.00	6.72	21.09	27.81	2.51	5.72	1.17
Hardoi	5,985.66	0.00	15.62	129.58	145.20	2.43	-1.18	9.36
Hathras/ Mahamaya Nagar	1,840.49	0.00	0.58	21.51	22.09	1.20	-4.15	0.20
Jalaun	4,565.00	0.00	60.66	195.83	256.49	5.62	6.41	53.03
Jaunpur	4,038.00	0.00	10.06	53.94	64.00	1.58	-6.75	0.31
Jhansi	5,024.00	0.00	57.11	284.21	341.32	6.79	34.79	66.79
Kannauj	2,092.87	0.00	0.00	25.61	25.61	1.22	-2.73	0.25
Kanpur Dehat	3,021.00	0.00	3.05	44.01	47.06	1.56	-24.70	16.18
Kanpur Nagar	3,155.00	0.00	8.53	61.59	70.12	2.22	25.29	3.39
Kasganj/ Kanshiram Nagar	1,955.28	0.00	5.37	36.60	41.97	2.15	-10.11	0.11
Kaushambi	1,779.00	0.00	4.35	29.15	33.50	1.88	1.15	0.00
Kheri	7,680.44	805.14	157.70	271.29	1,234.13	16.07	-27.66	8.22
Kushinagar	2,905.00	0.07	2.97	32.13	35.17	1.21	-0.93	0.00
Lalitpur	5,039.00	0.00	127.26	449.79	577.05	11.45	0.00	33.24
Lucknow	2,528.00	0.00	161.18	240.08	401.26	15.87	2.62	8.09
Mahoba	3,144.00	0.00	21.22	151.03	172.25	5.48	2.84	60.55
Mahrajganj	2,952.00	262.28	92.72	71.17	426.17	14.44	-0.66	0.32
Mainpuri	2,760.04	0.00	0.19	17.23	17.42	0.63	1.47	0.00
Mathura	3,339.64	0.00	3.90	49.44	53.34	1.60	-2.15	3.11
Mau	1,713.00	0.00	0.23	11.14	11.37	0.66	0.00	0.00
Meerut	2,500.86	0.00	34.59	56.74	91.33	3.65	5.22	0.00
Mirzapur	4,405.00	8.38	278.51	450.02	736.91	16.73	-2.00	46.59
Moradabad	2,009.40	0.00	3.50	14.23	17.73	0.88	0.82	0.12
Muzaffarnagar	2,750.86	0.00	8.43	45.63	54.06	1.97	5.16	2.71
Pilibhit	3,498.90	486.20	81.75	105.89	673.84	19.26	-21.61	9.92
Pratapgarh	3,717.00	0.00	26.94	97.29	124.23	3.34	0.56	1.63
Prayagraj/ Allahabad	5,482.00	6.28	25.01	134.94	166.23	3.03	4.94	26.67
Raebareli	3,289.00	0.00	2.72	87.10	89.82	2.73	3.80	3.65
Rampur	2,366.58	3.89	24.61	40.49	68.99	2.92	-3.83	0.00
Saharanpur	3,688.96	0.00	182.13	342.87	525.00	14.23	9.07	0.81
Sambhal	2,497.95	0.00	0.74	11.73	12.47	0.50	2.79	0.00
Sant Kabir Nagar	1,646.00	0.00	1.16	12.97	14.13	0.86	0.00	1.17
Shahjahanpur	4,575.24	26.15	5.47	28.77	60.39	1.32	2.25	0.79
Shamli	1,257.46	0.00	3.96	20.43	24.39	1.94	1.54	1.21
Shravasti	1,640.00	197.72	99.29	46.56	343.57	20.95	2.29	0.27

आज दिनांक 21/04/2025 को ग्राम बीबीपुर हरिया
परगना व तहसील कैराना जिला शामली में उपस्थित
होकर राजस्व टीम एवं वन विभाग की संयुक्त
टीम द्वारा वन विभाग भूमि के खसरा संख्या
($\frac{276}{0.3480}$ हे.) व ($\frac{278}{0.0820}$ हे.) भूमि को आवश्यक
पैमाइश कर चिन्हित व सीमांकन किया गया।
उपस्थित राजस्व टीम एवं वन विभाग टीम
के हस्ताक्षर निम्न प्रकार हैं।

वन विभाग के
हस्ताक्षर

राजस्व विभाग
के हस्ताक्षर


धेश मलिक
क०६०

सुमित कुमार
(सर्वेयर)

विपिन कुमार
क०६०


क०६-बस्तावा

आज दिनांक 19/03/2025 को ग्राम बीबीपुर दहिया परगना व तहसील कैरना जिला शामली में उपस्थित होकर राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वन विभाग की भूमि के खसत संख्या नं. $\left(\frac{87 \text{ है.}}{0.0310}\right)$

$\left(\frac{150 \text{ मी. है.}}{2.7330}\right)$, $\left(\frac{151 \text{ है.}}{0.1840}\right)$, $\left(\frac{152 \text{ है.}}{2.0590}\right)$, $\left(\frac{89 \text{ है.}}{0.4550}\right)$

भूमि को आवश्यक पैमाईश कर चिह्नित व सीमांकन किया गया। उपस्थित राजस्व टीम एवं वन विभाग टीम के हस्ताक्षर निम्न प्रकार हैं।

वन विभाग के
हस्ताक्षर


राजस्व विभाग के
हस्ताक्षर



वंशमलिक
कच्छ

सुमित कुमार
(सर्वेयर)

विपिन कुमार
कच्छ


क्र. 027141

आज दिनांक 20/03/2025 को मम बीबीपुर ग्रामिया
परगना व तहसील कैरना जिला जामली में उपस्थित
होकर राजस्व टीम एवं वन विभाग टीम को संयुक्त
टीम द्वारा वन विभाग भूमि के खसरा संख्या नं.-

($\frac{173 \text{ ख है.}}{0.1020}$), ($\frac{174 \text{ क है.}}{0.6970}$), ($\frac{176 \text{ ख है.}}{0.1020}$), ($\frac{177 \text{ है.}}{0.3690}$)

व ($\frac{178 \text{ है.}}{0.1130}$) भूमि को आवश्यक पैमाइश कर
चिन्हित व सीमांकन किया गया। उपस्थित राजस्व
टीम एवं वन विभाग टीम के हस्ताक्षर निम्न
प्रकार हैं।

वन विभाग के
हस्ताक्षर


राजस्व विभाग के
हस्ताक्षर



वंश मलिक
वकील

सुमित कुमार
(सर्वेया)

विपिन कुमार



20-03-2025

उपस्थिति 121 पत्र

आज दिनांक 21/03/2025 को ग्राम बीबीपुर हरिया
परशना व तहसील कैराना जिला शामली में उपस्थित
होकर राजस्व टीम एवं वन विभाग टीम की संयुक्त
टीम द्वारा वन विभाग भूमि के खसरा संख्या


($\frac{180 \text{ हॅ.}}{0.4610}$), ($\frac{181 \text{ क हॅ.}}{0.9830}$), ($\frac{182 \text{ ग हॅ.}}{0.6320}$), ($\frac{188 \text{ म हॅ.}}{0.0970}$)

($\frac{189 \text{ ख हॅ.}}{0.4890}$) व ($\frac{168 \text{ ख हॅ.}}{0.2660}$) भूमि को आवश्यक

पैमाईश कर चिह्नित व सीमांकन किया गया।
उपस्थित राजस्व टीम एवं वन विभाग टीम के
हस्ताक्षर निम्न प्रकार हैं।

वन विभाग के
हस्ताक्षर

राजस्व विभाग
के हस्ताक्षर


केश मलिक
9860

सुमित कुमार
(सर्वेयर)

निदिन ठकुर
9020


केश मलिक

उपस्थिति 122 पत्र

आज दिनांक 24/03/2025 को ग्राम लीवीपुर हरिया
परगना व तहसील कैराना जिला शामली में
उपस्थित होकर राजस्व टीम एवं वन विभाग टीम
की संयुक्त टीम द्वारा वन विभाग भूमि के
द्वारा सैरणा $(\frac{218 \text{ है०}}{0.2460})$, $(\frac{2202 \text{ है०}}{0.6040})$, $(\frac{222 \text{ है०}}{0.1540})$
व $(\frac{223 \text{ है०}}{1.1980})$ भूमि को आकृष्टक पैमाईश कर
चिह्नित व सीमांकन किया गया। उपस्थित राजस्व
टीम एवं वन विभाग टीम के हस्ताक्षर निम्न
प्रकार हैं।

वन विभाग के
हस्ताक्षर

राजस्व विभाग के
हस्ताक्षर



वंश मलिक
कठक

सुमित कुमार
(सर्वेयर)

विपिन ठाकुर
कठक


24-03-2025

आज दिनांक 28/09/2024 को ग्राम दमोरी बुजुर्ग परगना चिखोली तहसील डेरना जिला शामली में वन विभाग व राजस्व टीम की उपस्थिति में वन विभाग की भूमि का सिंहावन करने हेतु मोड़ पर उपस्थित हुए। मोड़ पर उपस्थित हुई जिसमें खसरा नं 200 नॉम्पत मुख्यमार्ग के मध्य बिन्दू से वन विभाग के मध्य को गमी पत्थी सड़ जो ग्राम दमोरी बुजुर्ग जाती है तब पैमाइश करने पर 46 मीटर की शर्ज की आकृति अनुसार कमी पाई गयी। पैमाइश के समय राजस्व टीम व वन विभाग की टीम के अभाव। ग्राम के सम्बन्धित रूपक भी उपस्थित रहे। ग्राम-खोली बुनारदार, बीबीपुर जललाबाद व ग्राम दमोरी बुजुर्ग की सीमा पर लगे सीमा बौतक चिन्ह व ग्राम रौन्द, बीबीपुर जललाबाद व दमोरी बुजुर्ग की सीमा पर लगे सीमा बौतक चिन्ह (सिंहदा पत्थर) से दमोरी बुजुर्ग को जोड़ने वाले वर्तमान मुख्यमार्ग (पट्टी सड़) की G.P.S द्वारा बरी को अमान सर्वेयर द्वारा अपेक्षित नैपटॉप से मापा गया जिसमें मात्र 1.5 मीटर की कमी आयी। जिस कारण अपेक्षित अन्तरों के इच्छित आज का सीमांकन कार्य नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में उच्च-अधिकारियों के आदेशानुसार / निर्देशानुसार सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। मोड़ पर एक तरफ वन विभाग की भूमि है व दूसरी तरफ इससे सटी हुयी भूमिधारी की भूमि है। मोड़ पर उपस्थित राजस्व व वन विभाग की टीम के हस्ताक्षर निम्नवत हैं।

अध्यापक
सर्वेयर

28/09/24
पेशा मो. लक्ष
वठ वठ

28/09/2024
अत-सिंहदा

28/09/24
अ.स.स. वठ वठ

28/09/24
वठ 20 सि.सि. (उ.प.स.)
वठ वठ

28/09/24
(सि.सि.स.स.)
वठ

28/09/2024

दखलनामा / अपस्थितिपत्र

आज दिनांक 30/09/2024 को ग्राम दम्भेडी बुजुग परगना - बिडोली
तहसील - कुशना जिला - शामली के खसरा नं० - $\frac{5}{3.7700}$
 $\frac{9}{0.2460}$ व $\frac{10}{0.0820}$ हेक्टेयर नोंधत - वनविभाग की पैमाइश
राजस्व विभाग व वनविभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गयी
तथा मैके पर सीमांकन किया गया तथा उक्त खसरा -
नम्बरान की पैमाइश में संयुक्त टीम के हस्ताक्षर निम्नवत
हैं।

राजस्व विभाग

वनविभाग

Aljayan
(सर्वेयर)

30/09/24
क.र.

8/11/24
9020
30/09/24

Signature

Rajesh Kumar
30/09/24
क.र. - व.र.

R.S. (3)
30/09/2024

उपस्थितिपत्र

आज दिनांक 01-10-2024 को ग्राम दमेडी कुजुर्ग परगना-बिडौली -
 तहसील - कैराना जिला - शामली में उपस्थित राजस्व टीम व वनविभाग
 की संयुक्त टीम द्वारा खसरा नम्बर - $\frac{12}{1.0280}$ व $\frac{158}{0.0100}$ व $\frac{159}{0.0310}$ व
 $\frac{162}{0.9730}$ व $\frac{166}{0.0820}$ वनविभाग भूमि की पैमाईश करके मैड लगादी
 गयी है। संयुक्त टीम के हस्ताक्षर निम्नवत हैं।

Sanjay
 अधिकारी

Sandeep Kumar
 व. स.

Sanjay
 01/10/2024
 सत-सींगरी

Sanjay
 01/10/24
 व. स.

Sanjay
 01/10/2024
 व. स. - वर-नाथ

Sanjay
 RI (S)
 01/10/2024

आज दिनांक 03/10/2024 को गम दमैडी बुजुग परगना बिर्दोली तहसील - कैराना तालिका - शामली में उपाख्येति राज्य टीम व वनविभाग की संयुक्त टीम द्वारा गम दमैडी बुजुग के खसरा नम्बर - $\frac{253}{0.6150}$, $\frac{254}{0.056}$, $\frac{252}{0.1330}$, $\frac{257}{0.684}$, $\frac{259}{0.5710}$ वनविभाग की पैदाइश करके चिन्हित किया गया। उपाख्येति टीम के संयुक्त हस्ताक्षर विम्नवत् है।

वनविभाग टीम

मौके पर मात्र चिन्ह लगाये जाये हैं। डोल नहीं लगायी जायी है।

Aliyayali
संयोजक

SKumar II
वोट 30 रैंक
03/10/24

राज्य विभाग टीम

Pafewarna
03-10-2024
कैराना - वनविभाग

जो जनालपुर
03/10/2024

Sandeep Kumar
3/10/24

उपास्थिति पत्र

आज दिनांक 05/10/2024 को ग्राम दमोडी बुजुग परगना-पिडौली तहसील कैरना जनपद-शामली में राजस्व टीम व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उपास्थित होकर खसरा नं० - $\frac{232}{0.3180}$, $\frac{240}{0.0610}$, $\frac{293}{0.0720}$, $\frac{290}{0.1460}$, $\frac{295}{0.0920}$, $\frac{363}{0.3690}$, $\frac{357}{0.1540}$, $\frac{419}{0.6660}$, $\frac{261}{0.0590}$ व $\frac{415}{0.0140}$ हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है। राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उक्त खसरा नम्बरों की पैमाइश कर विहित कर दिया गया है। तथा उपरोक्त खसरा नम्बरों की वन सीमा से सम्बन्धित फिल्ड-स्टाफ (वन विभाग) की भली भांती अवगत करा दिया गया है। ग्राम दमोडी बुजुग के राजस्व अभिलेखों में दर्ज शेष खसरा नम्बरों की स्थल पर जांच की गयी। जांच से यह पाया गया कि - दिनांक 30/3/2024 व 28/05/2024, 01-10-2024 व 03/10/2024 को सीमांकित किये गये खसरा नम्बरों के अतिरिक्त शेष खसरा नम्बरों से ही वन आच्छादित है।

इस प्रकार आज दिनांक 05/10/2024 को ग्राम दमोडी बुजुग से सम्बन्धित सीमांकन कार्य (वन विभाग से सम्बन्धित भूमि) संयुक्त टीम द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। संयुक्त टीम के हस्ताक्षर निम्नवत हैं।

वन विभाग टीम

राजस्व टीम

(Handwritten signature)
सर्वेक्षक

(Handwritten signature)
सहायक वन विभागाध्यक्ष
कैरना
05/10/2024

05/10/24
व.र.
Sardar
05/10/2024
व.र.

(Handwritten signature)
सहायक वन विभागाध्यक्ष
(कैरना)

(Handwritten signature)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

आज दिनांक 08/10/2024 को ग्राम बरनावी परगना - बैरना जिला
शामली में उपस्थित एकर राजस्व टीम व वन विभाग की संयुक्त टीम
द्वारा खसरा नं० 100 101 व 102 में वन विभाग भूमि व रूपरेखा
2.7140 1.1060 4.6300
की भूमि चिह्नित कर निशानदेही कर दी गयी है। मौजूदा पर उपस्थित राजस्व
टीम व वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा निम्नवत है।

वन विभाग/टीम

विपिन कुमार
(विपिन कुमार)
9086

अरवि

(देविण गीमीण)

होमन

(देविण गीमीण)

राजस्व टीम

Rajeev Kumar
08/10/2024
कै. ल. 92444
अरवि
08/10/2024
सेन-सींगर


प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

आज दिनांक 09/10/2024 को ग्राम बरनावी परगना इराना जिला
शाहमी मे राजस्व टीम व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वन झी
के खसरा नं 127 व 128 व 154 की निशानदेही प्र ही
0-5430 0-4100 1-9660
गयी है। अंदे ए उपस्थित संयुक्त टीम के हस्ताक्षर निम्नवत है।

वन विभाग टीम

सुंद
प्रकारिकार

विपिन कुमार
कंसर
नॉल उम्दारी बरनावी

राजस्व टीम

Rafique
09/10/2024
अ. अ. बरनावी

अ. अ. अ. अ.
09/10/2024
कोत-खीर

आज दिनांक 14/10/2024 को ग्राम बरनावी परगना कैराना जिला
शामली में उपस्थित होकर राजस्व टीम व वन विभाग टीम द्वारा
वन भूमि के खसरा नं० $\frac{41}{2}$ व खसरा नं० $\frac{42}{2}$ की
0-1840 0-7650 हे

पैमाइश पर विन्दिह प्र किया गया है मोठे पर उपस्थित
संयुक्त टीम के हस्ताक्षर निम्नवत है।

वन विभाग टीम

राजस्व टीम


मानाचक्रवाल


14/10/2024
ले० प्र० बरनावी

विपिन कुमार
जिल्ह प्रमारी बरनावी

अश्वमेध
मैल-सींगरा

दिनांक 23/10/2024 एवं 24/10/2024 को ग्राम कीबीपुर जलालाबाद
परगना - खीझाना, तहसील - कुँराना जिला - शामली में राजस्व
एवं वनविभाग की संयुक्त टीम द्वारा वनविभाग के खसरा नम्बरान

$\frac{173}{1.5880}$, $\frac{125}{0.2050}$, $\frac{126}{0.7480}$, $\frac{134}{0.2460}$, $\frac{135क}{0.0100}$, $\frac{140क}{0.0310}$, $\frac{133}{0.8190}$, $\frac{132}{0.5840}$
 $\frac{137}{0.0920}$, $\frac{131}{0.3180}$, $\frac{94}{2.5920}$, $\frac{130}{0.4400}$, $\frac{129}{0.5940}$, $\frac{89}{2.3360}$, $\frac{90}{0.8710}$, $\frac{88}{2.2640}$
 $\frac{91}{1.1170}$, $\frac{83}{2.7870}$, $\frac{46क}{0.2050}$, $\frac{47}{0.3480}$, $\frac{48}{0.0150}$, $\frac{49}{0.0150}$, एवं $\frac{51}{1.0760}$

की सीमाओं का सीमांकन कर सीमाओं से वन विभाग
के फील्ड स्टाफ को भली भाँती अवगत करा दिया
गया है। उपरोक्त खसरा नम्बरान में अतिक्रमित वन भूमि
से भी फील्ड स्टाफ को अवगत करा दिया गया है।
मौके पर उपास्थित संयुक्त टीम के हस्ताक्षर विम्नवृत्त हैं।

वनविभाग टीम के हस्ताक्षर

राजस्व विभाग टीम हस्ताक्षर

Aljayantw
24/10/24
(विजेन्द्र सिंह)
सर्वेयर
(जोगेंद्र कुमार)
वर.
(सत्यनंद सिंह)
वर. विभागीय

SK. WAI
9020
24/10/24
Sandeep Kumar
संक्षेप यणो
व० 20

24/10/24
क्षेत्र - कीबीपुर जलालाबाद
(प्रजाजैवाल लेखपाल)

उपस्थित पत्र

आज दिनांक 25/10/2024 को ग्राम- बीबीपुर जलालाबाद
 परगना- झीझाना, तहसील- कुँराणा, जिला- शामली में उपस्थित
 राजस्व टीम एवं वनविभाग की संयुक्त टीम द्वारा वनविभाग
 की भूमि स्वसरा नम्बर - $\frac{1}{8.144}$, $\frac{4}{2.766}$, $\frac{5}{0.5120}$, $\frac{6}{0.9320}$, $\frac{10}{0.2050}$, $\frac{11}{0.8400}$,

$\frac{13ख}{1.281}$, $\frac{14}{17.486}$, $\frac{15क}{3.6670}$, $\frac{25ख}{0.7480}$, $\frac{26}{2.4790}$, $\frac{50}{0.1020}$, $\frac{52ख}{1.9770}$,

$\frac{63}{0.6760}$, $\frac{72}{0.0410}$, $\frac{73}{0.6970}$, $\frac{74}{4.3020}$, $\frac{75}{5.040}$, $\frac{76}{0.1840}$, $\frac{77}{0.3070}$, $\frac{78}{0.7020}$,

$\frac{79}{3.9750}$, $\frac{80}{4.8660}$, $\frac{81}{2.5920}$, $\frac{82}{2.2360}$ की सीमाओं का सीमांकन कर
 सीमाओं से वन विभाग के फील्ड स्टाफ को भली भती अवगत
 करा दिया गया है। उपरोक्त स्वसरा नम्बरान में आतिक्रमित
 वन भूमि से फील्ड स्टाफ को अवगत करा दिया गया है।
 मौके पर उपस्थित संयुक्त टीम के हस्ताक्षर निम्नवत हैं।

राजस्वविभाग टीम हस्ताक्षर

वनविभाग टीम के हस्ताक्षर

(Signature)
 25/10/24
 (विजेन्द्र सिंह)
 सर्वेयर

(Signature)
 (जाग-पु लुमप)
 क.र.

(Signature)
 (सत्येंद्र सिंह)
 वन विभाग

(Signature)
 25/10/2024
 निरूपाल
 बीबीपुर जलालाबाद

(Signature)
 25/10/24

उपस्थिति - पत्र

आज दिनांक 24/10/2024 को छात्र बरनाली पर व लक्ष्मी
केरना जनपद - शाकली में उपस्थित होकर राउस्व टोप
एवं वन विभाग टोप की सुपुंन टोप द्वारा वनविभाग
शुद्धि के लक्षण क्र 206 व 207 हैं शुद्धि की
आवश्यक पैकाइज कर निर्दिष्ट डिपार्टमेंट/उपस्थित
राउस्व टोप एवं वन विभाग टोप के द्वारा निम्न
प्रकार है

Rajeev Kumar
24-10-24
छात्र बरनाली

विधि अनुसार
१०२०

उपस्थिति-पत्र

आज दिनांक 26-10-2021 को रात्रि - अरुणावी परमवलद्वे केरफ
 ज्ञानपद - शाकली से उपस्थित होकर राष्ट्रिय दौड़ खेपे व
 विभागीय दौड़ की रूपरेखा दौड़ करके वर विभागीय श्रेणी के एक
 नं० 363 व अरुणा को 364 है श्रेणी की लगे 2

$$\begin{array}{r} 010230 \\ \hline 363 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11310 \\ \hline 364 \end{array}$$

वैज्याश का चिन्हित किचु गोंप। उपस्थित राष्ट्रिय दौड़ व
 वर विभागीय दौड़ के दस्तावेज सिद्ध कर रहे हैं।

Rajeev
 26-10-2021
 अरुणा - अरुणा

विपिन कुमार
 वरुण

वीर प्रकाश वरुणा

उपस्थिति - ५७
135

कार्य दिनांक 23/10/2024 को गांव बरगावी परापूर्वतह
केसना जेम्पद - शाहजी के उपस्थित होकर राजस्व दौलत एवं
वन विभाग दौलत की संयुक्त दौलत को वन विभाग की
भूमि के लम्बाई को - $\frac{211}{3380}$ व $\frac{168}{39210}$ के भाग की
आवश्यक पैदावार कर निर्दिष्ट कि जगाह / उपस्थित
राजस्व दौलत एवं वन विभाग दौलत के द्वारा कर निर्दिष्ट
होकर है।

Rajeev Verma

23-10-2024

डी सी - बरगावी

विशेष अधिकारी

वीर प्रहारी बरगावी

आज दिनांक 11-11-2027 को गाठ - बरनावी परब तहें
 केराना जेनपद - शाफली से उपस्थित होकर राजस्व टोक एवं
 वन विभाग टोक की सुपुंक्त टोक द्वारा वन विभाग भूमि
 के व्यय को $\frac{254}{0.1600}$ व व्यय को $\frac{511}{0.1840}$ हे भूमि की
 शोधपत्र कर चिन्हित किया गया / उपस्थित राजस्व टोक
 एवं वन विभाग टोक के हस्ताक्षर प्राप्त उक्त है

विपिन कुमार
 (विपिन कुमार)
 कोर

Rajeev Kumar
 11-11-2027
 के वरनावी

आज दिनांक 22/10/2024 को ग्राहक बननावी पर वत ह० आ
जनपद - शाहली के उपास्थित होकर राजस्व टीक एवं
वन विभाग टीक की कुपकत टीक द्वारा वन विभाग श्रेणी
के जलपा क्र - $\frac{109}{2.2770}$ व $\frac{110}{1.4800}$ ह० श्रेणी की आवश्
यता (2) को चिन्हित किफायत) उपास्थित राजस्व टीक
एवं वन विभाग टीक के हेतुआ निम्न प्रकार है

विपिन कुमार
बन०
वीर प्रहारी बननावी

Rajeev Kumar
22-10-2024
क. जी. बननावी

उपासिका 138 - 40

काठ दिनांक 28-10-2024 को ग्राहक बरनावी परबत वरुन अना
लेनपद - शाफली के उपासिका होकर राजस्व टीक एकवन विना
टीक की सुपकल टीक कोस वन विनाग शीमे के लपिया हो

○ MS ए. व. बरना सी 138 ईके शीमे की लपयपक
011840 टी. व. बरना सी 0.3480 ईके शीमे की लपयपक
पैनाइश कर चि-इत लिप्य गप / उपासिका राजस्व टीक लपय
वन विनाग टीक के इस्वापर सीम उचार है

विपिन बिगार
बरना
वलि प्रभारी बरनावी

Rajeev
28-10-2024
बिपिन बिगार

आंक क्रमांक 25-10-2024 को शाह बरनावी परब लखे कराना
जमपद - शाहली में उपस्थित होकर राजस्व टीक एवं वन विभाग
टीक की सम्बन्ध टीक द्वारा वन विभाग की प्रति के लिये
को $\frac{150}{0.0510}$ व $\frac{151}{0.1826}$ व $\frac{152}{0.0726}$ व $\frac{261}{1.2490}$ हैं प्रति की
आवश्यक पैकाज कर चिह्नित किया गया। उपस्थित राजस्व
टीक एवं वन विभाग टीक के हस्ताक्षर मिल उक्त है।

विपिन कुमार
नं 210
वीर प्रभारी बरनावी

Rajesh Kumar
25-10-2024
श्री 210 बरनावी

आज दिनांक 21/10/2024 को ग्राम बरनावी पर 0 व तह
 कुशा गिला-शामली में उपस्थित होकर राजस्व टीम एवं
 वनविभाग टीम की संयुक्त टीम द्वारा वनविभाग भूमि
 खसरा नं - $\frac{2.5}{0.425}$ हे० व $\frac{5}{0.3280}$ हे० भूमि की आवश्यक
 पैमाइश कर चिह्नित किया गया। उपस्थित राजस्व टीम एवं
 वनविभाग टीम के अस्ताक्षर निम्न प्रकार हैं।

विपिन कुमार
 वरनावी

वीर प्रभारी वरनावी

Rajswam
 21/10/24
 वरनावी

अस्ताक्षर
 21/10/24
 वरनावी

~~रविवारी~~

141
उपस्थान - ५७

आज दिनांक २१-११-२०२१ को आज बरनावी प्रवक्तृद्वय कोला
 लेनफड - शाह जी के उपस्थित होकर शालम्व टीच एवं कम विभाग
 टीच की सुपंकर टीच द्वारा कम विभाग की शीमे के व्याख्या
 को $\frac{227}{0.2930}$ व $\frac{257}{0.2640}$ है शीमे की आवृत्त के कारण कर
 विन्दित किन्तु गण। उपस्थित शालम्व टीच एवं कम विभाग
 टीच के द्वारा भी निम्न उक्त है

विपिन कुमार
 (विपिन कुमार)
 २१-११-२०२१

AR
 (अशोक कुमार)
 २१/११/२०२१

Rajeev kumar
 २१-११-२०२१
 सुमित कुमार
 Sumit kumar

दिनांक 26/12/2024 को ग्राम- पांवली खुर्द परगना सिंशाना तहसील-
कैराना जिला- शामली में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा
वन विभाग के खसरा नम्बर $\frac{95}{0.0610}$ एवं $\frac{106}{6.0640}$ की सीमाओं का
सीमांकन कर सीमाओं से वन विभाग के फील्ड स्टाफ को भली
भांती अवगत करा दिया गया है। मौके पर उपस्थित संयुक्त
टीम के हस्ताक्षर निम्न प्रकार हैं।

वन विभाग के हस्ताक्षर

सुमित कुमार
(सर्वेयर)
26/12/2024

26/12/24
च.र.

SR
26/12/2024
च.र.

राजस्व विभाग टीम हस्ताक्षर

F.M.
26/12/2024
च.र.

R.I.(J)
14/02/2025

आज दिनांक 31/01/2025 को ग्राम वीवीपुर जलालाबाद व
 ब्लॉक परगना - डिंडिया तहसील - कैरगा जलपद शामिल
 में राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम
 द्वारा ग्राम - ब्लॉक में वन विभाग भूमि के खसरा नंबर

4708 व 479 नया ग्राम वीवीपुर जलालाबाद के
 $\frac{0.6970}{0.6970}$ व $\frac{479}{3.1860}$
 खसरा नम्बरान $\frac{150}{0.4610}$, $\frac{154}{2.8990}$, $\frac{155}{1.9460}$, $\frac{162}{0.7680}$
 की सीमाओं व
 $\frac{163}{3.5860}$, $\frac{520}{1.8850}$, $\frac{521}{1.8850}$, ~~128~~
 सीमांकन कर सीमाओं से वन विभाग के फील्ड

स्टाफ को भली भांती अवगत करा दिया गया है।
 ब्लॉक पर उपरोक्त संयुक्त टीम के हस्ताक्षर निम्नवत्
 हैं।

वन विभाग टीम के हस्ताक्षर

राजस्व टीम हस्ताक्षर

सुमित कचाल
 (सर्वेयर)
 31/01/2025

IP
 31/01/2025
 (लेखापाल)

~~31/01/25~~
 (जोसाइ कुमाव)
 -स.र.

A/M/A
 31/01/2025
 (R/M)
 31.01.25

SKumar
 (सुनीलकुमार (स))
 क०२०
 31/01/25
 Sandeep
 सदीप कुमार
 क०२०
 31/1/2025

सुनीलकुमार
 31/01/25

दिनांक 11/02/2025 को ग्राम - पावटी खुर्द पर 0 शिक्षा तहसीला कैराना जिला -
आमली में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वन विभाग के खसरा

नं० - $\frac{288}{0.0200}$, $\frac{289}{1.6290}$, $\frac{282}{0.0410}$, $\frac{283}{0.0820}$, $\frac{284}{0.4200}$, $\frac{285}{0.0820}$, $\frac{290}{0.3710}$, $\frac{517}{4.6200}$ व

$\frac{518}{4.7730}$ की सीमाओं का सीमांकन कर सीमाओं से वन विभाग के फील्ड स्टाफ
को भली भांती अवगत करा दिया गया है। भूके पर उपस्थित संयुक्त टीम
के हस्ताक्षर निम्न प्रकार हैं।

वन विभाग के हस्ताक्षर

राजस्व विभाग टीम हस्ताक्षर

सुमित कुमार
(सर्वेयर)
14/2/2025

M...
14/2/2025

14/2/2025
व.र.

14/02/2025

14/02/2025
सन्दीप राणा
व.र.

14/2/25
R.I. (J)





147









151



GPS Map
Camera Lite

Unnamed Road, Rataundh, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.516866696067154°

Longitude

77.17740174382925°

Local 03:33:00 PM

GMT 10:03:00 AM

Altitude 237 meters

Thursday, 16.01.2025











157







161



 GPS Map Camera



06/02/25 01:31 PM GMT +05:30



 GPS Map Camera



Jhinhana, Uttar Pradesh, India
G66c+rf8, Karnal - Shamli Rd, Jhinhana, Jamalpur,
Uttar Pradesh 247773, India
Lat 29.512304° Long 77.221247°
07/02/25 01:38 PM GMT +05:30

Google



 GPS Map Camera

Pavti Khurd, Uttar Pradesh, India
G54v+845, Pavti Khurd, Uttar Pradesh 247773, India
Lat 29.50807° Long 77.19248°
11/02/2025 01:04 PM GMT +05:30



Google



165



GPS Map Camera

Jhinjhana, Uttar Pradesh, भारत

**G52r+j3q, Dera Sangatpura, Jhinjhana, Barnau,
Uttar Pradesh 247773, भारत**

Lat 29.502464° Long 77.188398°

13/02/25 03:39 PM GMT +05:30



166



GPS Map Camera



पावती खर्द, उत्तर प्रदेश, भारत

नाम-रहित सड़क, पावती खर्द, उत्तर प्रदेश 247773, भारत

Lat 29.510429° Long 77.191918°

07/02/25 02:21 PM GMT +05:30



F5X6+VVR, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.49869833333333°

Longitude

77.16205333333333°

Local 03:19:48 PM

GMT 09:49:48 AM

Altitude 236 meters

Friday, 15.11.2024


168







GPS Map Camera



Rataundh, Uttar Pradesh, India
G5JF+7JW, Rataundh, Uttar Pradesh 247773, India
Lat 29.529982°
Long 77.173842°
23/10/24 12:38 PM GMT +05:30

171



172

Latitude: 29.539096
Longitude: 77.173306
Elevation: 259.0±12 m
Accuracy: 336.3 m
Time: 24-10-2024 14:12

Powered by NoteCam





175





GPS Map Camera

दाभेरी, उत्तर प्रदेश, भारत

G5W7+93W, दाभेरी, छातेला उर्फ जैनपुर, उत्तर प्रदेश 247773, भारत

Lat 29.545989°

Long 77.163081°

28/09/24 01:08 PM GMT +05:30



















186



 GPS Map Camera

Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.49599° Long 77.183758°

20/03/2025 01:09 PM GMT +05:30



Google



 GPS Map Camera

Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.495524° Long 77.183313°

20/03/2025 01:54 PM GMT +05:30





 GPS Map Camera

Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.492436° Long 77.183154°

21/03/2025 02:54 PM GMT +05:30





 GPS Map Camera

Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.497673° Long 77.182041°

21/03/2025 03:37 PM GMT +05:30



190




 GPS Map Camera

Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.497898° Long 77.182°

21/03/2025 03:40 PM GMT +05:30



191




 GPS Map Camera

Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.498401° Long 77.182865°

21/03/2025 05:23 PM GMT +05:30



Google

192




 GPS Map Camera

Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.491229° Long 77.180294°

02/04/2025 04:43 PM GMT +05:30



193



 GPS Map Camera


Bibipur Hatiya, Uttar Pradesh,...

F5rr+92, Bibipur Hatiya, Uttar Pradesh
247773, India

Lat 29.491629° Long 77.190105°

21/04/2025 04:52 PM GMT +05:30





 GPS Map Camera

Bibipur Hatiya, Uttar Pradesh,...

F5rr+92, Bibipur Hatiya, Uttar Pradesh
247773, India

Lat 29.49232° Long 77.190167°

21/04/2025 04:48 PM GMT +05:30











 **GPS Map
Camera Lite**

Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.499761666666668°

Local 04:22:14 PM

GMT 10:52:14 AM

Longitude

77.18170833333333°

Altitude 235 meters

Wednesday, 07.05.2025

199



 **GPS Map**
Camera Lite

Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.498775000000002°

Longitude

77.18167666666666°

Local 05:14:49 PM

GMT 11:44:49 AM

Altitude 235 meters

Wednesday, 07.05.2025

200



GPS Map

Camera Lite

Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.49421378°

Longitude

77.19055283°

Local 06:44:12 PM

GMT 01:14:12 PM

Altitude 236 meters

Thursday, 15.05.2025

201



GPS Map

Camera Lite

Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.49494403°

Longitude

77.19081644°

Local 07:29:57 pm

GMT 01:59:57 pm

Altitude 237 meters

Thursday, 15.05.2025

202



Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.49502272°

Longitude

77.19080847°

Local 07:34:20 pm

GMT 02:04:20 pm

Altitude 236 meters

Thursday, 15.05.2025

203



 **GPS Map**
Camera Lite

Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.489198333333334°

Longitude

77.185585°

Local 05:34:50 PM

GMT 12:04:50 PM

Altitude 237 meters

Saturday, 03.05.2025

204



 GPS Map
Camera Lite

Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.489275°

Local 05:34:11 PM

GMT 12:04:11 PM

Longitude

77.18562166666668°

Altitude 237 meters

Saturday, 03.05.2025

205



GPS Map

Camera Lite

F5W7+CQX, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.49524633°

Longitude

77.18334884°

Local 05:33:30 PM

GMT 12:03:30 PM

Altitude 241 meters

Friday, 02.05.2025



207





 **GPS Map**
Camera Lite

Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.494123333333333°

Longitude

77.183433333333334°

Local 03:49:02 PM

GMT 10:19:02 AM

Altitude 236 meters

Wednesday, 30.04.2025



 **GPS Map
Camera Lite**

Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.494118333333336°

Longitude

77.18345333333333°

Local 03:48:21 PM

GMT 10:18:21 AM

Altitude 236 meters

Wednesday, 30.04.2025

210



 GPS Map
Camera Lite

Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.493975°

Local 03:51:29 PM

GMT 10:21:29 AM

Longitude

77.18345500000001°

Altitude 236 meters

Wednesday, 30.04.2025

211



GPS Map Camera



Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.494338° Long 77.183471°

23/04/2025 03:50 PM GMT +05:30

212



GPS Map Camera



Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.494332° Long 77.183475°

23/04/2025 03:49 PM GMT +05:30



214



OPPO F21 PRO 5G

Jakarta, Saharajaya Division / 2025.0.16.10.46

215



GPS Map

Camera Lite

Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.48934917°

Longitude

77.18508045°

Local 05:36:48 PM

GMT 12:06:48 PM

Altitude 237 meters

Saturday, 22.03.2025

216



GPS Map Camera



Google

Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.498098° Long 77.182473°

21/03/2025 05:17 PM GMT +05:30

217



GPS Map Camera



Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.498069° Long 77.182458°

21/03/2025 05:17 PM GMT +05:30



 GPS Map Camera

Barnau, Uttar Pradesh, India

Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.49622° Long 77.184156°

20/03/2025 02:24 PM GMT +05:30



219



 **GPS Map**
Camera Lite

Shamli Byp, Kaserwakhurd, Uttar Pradesh 247776, India

Latitude

29.4777177°

Longitude

77.2198576°

Local 02:57:33 PM

GMT 09:27:33 AM

Altitude 243 meters

Wednesday, 19.03.2025



221







224



GPS Map Camera



Google


Chhatela Urf Jainpur, Uttar Pradesh, India
H549+5cc, Karnal - Shamli Rd, Chhatela Urf
Jainpur, Ahmadgarh, Uttar Pradesh 247773, India
Lat 29.554912° Long 77.168258°
06/12/24 01:07 PM GMT +05:30

225



 **GPS Map Camera**


Odri, Uttar Pradesh, India
G5W4+278, Odri, Uttar Pradesh 247773, India
Lat 29.547054°
Long 77.154784°
01/10/24 11:59 AM GMT +05:30



226



Chhatela Urf Jainpur, Uttar Pradesh, India
H549+5cc, Karnal - Shamli Rd, Chhatela Urf
Jainpur, Ahmadgarh, Uttar Pradesh 247773, India
Lat 29.55494° Long 77.168291°
05/12/24 12:13 PM GMT +05:30




Google

227



 GPS Map Camera

Kabeerpur Ahatmali, Uttar Pradesh, India
Unnamed Road, Kabeerpur Ahatmali, Uttar Pradesh, India
Lat 29.551806°
Long 77.154118°
01/10/24 04:31 PM GMT +05:30



Google





वन विभाग परिधि (सर्किल) 'राजस्थान' खण्ड (डिवीजन)
 अपराध 'भारतीय वन अधिनियम 1927' प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 26/03/2025 अधिक्षेत्र सं०
 जी द्वारा 26
 बुक सं० 06 क्रम सं० 34

RC No - 17/2024-25

1- जंगल सं. रेटु, 2- सांगाडा, रामा, निवासी गण जी जी प्रजालाबाद, भाना- सिंधाना, तं०- कैराना, जिला- शामली, 3- कविता अ. प्रेम, 4- सांगाडा आशा, 5- मोहर सिंह अ. आशा, 6- मुकेश अ. सीरीपा, 7- बिलेड अ. जगदीश, 8- राम कल अ. रामा

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- निवासी गण, ग्राम- शिवनगर, भाना- सिंधाना, तं०- कैराना, जिला- शामली

1- साक्षी का नाम पता :- राजस्थान एवं वन विभाग जी संपूर्णत टीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- वन विभाग जी वन भूमि के खतरा सं०-173 पर दिनांक :- 26/03/2025 अवैध रूपसे भवन निर्माण करना।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग-मदद आदि का उल्लेख :-

निवेदन कर अवगत कराना है कि दिनांक 23/03/2025 को ग्राम जी जी प्रजालाबाद, भाना- सिंधाना जी वन भूमि के खतरा सं०-173 में राजस्थान वन विभाग जी संपूर्णत टीम द्वारा जंगल सं. रेटु, सांगाडा, रामा निवासी गण जी जी प्रजालाबाद, भाना- सिंधाना, तं०- कैराना, जिला- शामली, 3- कविता अ. प्रेम, 4- सांगाडा आशा, 5- मोहर सिंह अ. आशा, 6- मुकेश अ. सीरीपा, 7- बिलेड अ. जगदीश, 8- राम कल अ. रामा, निवासी गण- शिवनगर, भाना- सिंधाना, तं०- कैराना, जिला- शामली के द्वारा भवन निर्माण हुआ पाया गया जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा- 26 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट हीमात जी की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

प्र० वना० शामली

महोदय,
 वन अपराध केस की एक प्रति आपकी सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 जं०, शामली

जागी
 26/03/25
 व.र.
 वीर प्रभारी
 वीजीप्रु जलालाबाद
 उत रंज

वन विभाग "उ० उ०" परिधि (सर्किल) राधारनापुर खण्ड (डिवीजन) "शामली"

अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 02-12-2024 (अधिक्षेत्र रेंक)
31/12/1923 का धारा 26(ज)

बुक सं० 06

RC No - 13/2024-25

क्रम सं० 30

1- कामेल पूत्र हारा, 2- हरदापासिंह पूत्र चैनासिंह, 3- सन्दीप पूत्र

एलिन हार सिंह 4- शालीत सिंह पूत्र आलमसिंह सिंह, निवासी गण-

1- नाम, पिता का नाम व गाँव - दमोडा बाजुगं गाना- डिंडाना तहसीला- कैरना जिला- शामली
पूरा पता सहित :- 5- देशपाल पूत्र लक्ष्मण सिंह, निवासी- मुण्डेर कला, गाना-
आदश मण्डा तहसीला- जिला- शामली।

1- साक्षी का नाम पता :- राधारना व वन विभाग का सम्पूक्त टीम।

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- वन भूमि पर कृषि कार्य हेतु साम सफाई
दिनांक :- 02-12-2024 करना।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच
का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय
आदि का उल्लेख :- दिनांक - 23-09-2024 से 05-10-2024 तक गाम
दमोडा बाजुगं में वन विभाग की वन भूमि की राधारना व वन विभाग का सम्पूक्त टीम द्वारा
संपूक्त विभागीय जांच कार्य के माध्यम से कामेल पूत्र हारा, 2- हरदापासिंह पूत्र चैनासिंह, 3- सन्दीप
पूत्र एलिन हार सिंह, 4- शालीत सिंह पूत्र आलमसिंह सिंह, निवासी गण, गाम- दमोडा बाजुगं
गाना- डिंडाना, तहसीला- कैरना जिला- शामली 5- देशपाल पूत्र लक्ष्मण सिंह निवासी
मुण्डेर कला, गाना- आदशमण्डा तहसीला व जिला- शामली के द्वारा वन भूमि को साम
सफाई एवं जुताई कर फसल बाने हेतु तैयार की दुम्री पापी गमी जो कि भारतीय
वन अधिनियम 1923 की धारा- 26(ज) के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्राम सूचना रिपोर्ट सीमान जो की सेवा में सूचनाय स्व
आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है।

पुठोचनां शामली

महोदय,
वन अपराध केस को रोक प्रति
आपकी सेवा में सूचनाय स्व आवश्पक
कार्रवाही हेतु प्रेषित है।

(Handwritten Signature)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
वन, शामली

प्राची

02/12/24
(जायन्त कुमार)
वनर.

बागीपु (जलावा बाव)
वीट

वन विभाग 'उ० पु०' परिधि (सर्किल) सहायपुर खण्ड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध भारतीय वन प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 12-11-2024 (अधि क्षेत्र रेंक)

क्र. धारा- 2 व 26 अधिनियम 1927

सुक सं० 06

RC No - 12/2024-25

क्रम सं० 29

1- सुनील कुमार पुत्र वृजपाल, 2- जगवीर पुत्र राजसिंह

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 3- रमेश चन्द पुत्र रतन सिंह, निवासी गण ग्राफ- शिवनगर, धाना- सिंझाना, त०- कैराना, जिला- शामली

1- साक्षी का नाम पता :- श्री सुनील कुमार दितीय वनरक्षक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- धौलीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में खसरा संख्या दिनांक :- 12-11-2024 125 में अवैध रूप से अतिक्रमण करना।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विशागी जांच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण सहित आज दिनांक- 12-11-2024 को अपने हमराह आदि का उल्लेख :- श्री सुनील कुमार दितीय वनरक्षक के साथ धौलीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में गश्त कर रहा था। गश्त के दौरान धाम धौलीपुर जलालाबाद के मजारा शिवनगर में रास्ते के पास कुछ वाक्तावत ग्राफ पर मिट्टी डालकर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। तभी मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वे व्यक्ति वन विभाग का वन भूमि के खसरा संख्या 125 में साफ-सफाई व मिट्टी डालकर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसे पकड़ा जा गया। उनके द्वारा अपना-अपना नाम- 1- सुनील कुमार पुत्र वृजपाल, 2- जगवीर पुत्र राजसिंह, 3- रमेश चन्द पुत्र रतन सिंह, निवासी गण ग्राफ- शिवनगर, धाना- सिंझाना, त०- कैराना, जिला- शामली बताया गया। सहोदय अक्त कृत्य भारतीय वन अधिनियम- 1927 का धारा- 2 व 26 का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनाएं एवं आवश्‍यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है।

उठना 0 शामली
सहोदय वन अपराध केस की एक प्रति आपकी सेवा में सूचना के साथ आवश्‍यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है।

प्राप्ति
12/11/2024
(जागन्तु कुमार)
व.र.
धौलीपुर जलालाबाद
घाट

प्रपत्र-11

नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक - 2230/14-1 दि० - 16/5/2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग - शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

सुनील कुमार 5/0 सुजपालग्राम - शिवनगर मजरा ग्राम पंचायत जलालाबाद

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 12/24-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 125 क्षेत्रफल 0.0612 मौजा/ग्राम शिवनगर तहसील कैराज जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/5/25 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे.डी. सिंह)प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक - 2220/14-1

दिनांक 16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शाभली वन प्रभाग शाभली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

रांभण्ड पुत्र शभाशाह शिवनगर मंडल शाह पंचायत खीरीपट जलालाबाद

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 17/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 173 क्षेत्रफल 0.0650... मौजा/ग्राम शिवनगर तहसील खीराना जिला शाभली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2025 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

()

प्रभागीय वनाधिकारी

..... वन प्रभाग

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक-2229/14-1 दि०-16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग-शामली
पत्रांक.

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता) 11
जपवीर पुत्र शफरुद्द
ग्राम - शिवनगर मजरा ग्रामपंचायत जलालाबाद

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 12/24-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 125 क्षेत्रफल 0.0612 मौजा/ग्राम शिवनगर तहसील कैलाश जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2024 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. जी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक सं०- 2225/14-1 दि०- 16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

व्यविला प० चेन्न

ग्राम शिवनगर मंडल ग्राम पंचायत हीरकिपुर जलालाबाद

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 15/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 153 क्षेत्रफल 0.0658 मौजा/ग्राम शिवनगर तहसील वैशाली जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2025 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. डी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक सं०-2224/14-1 दि०-16-5-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

ग्रामा पुडा झाभा

ग्राम शिवनगर भुवरा ग्राम पंचायत खीबीपुर जिला/तहसील

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 17/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 153 क्षेत्रफल 0.0650 मौजा/ग्राम शिवनगर तहसील खीबीपुर जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 28/05/2024-25 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे.डी.रिड्ड)

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक - 2281/14-1

दिनांक 16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक ...शामली वन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

खिले-5 पुडा जगदीश्वरग्राम खिलनगर मन्सरा ग्राम पंचायत हीवीडर जलालाबाद

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं/7/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं.143..... क्षेत्रफल 0.0650... मौजा/ग्राम ...खिलनगर... तहसील ...खैरता... जिला ...शामली... में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2025 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण वेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप वेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. डी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

शामली वन प्रभाग

कराना

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक सं- 2223/14-1 दि- 16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

मोहरीसंह पुत्रा झा

ग्राम शिवनगर प्रजरा ग्राम पंचायत कीडीपट जमालावाप

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं। 17/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 1.13 क्षेत्रफल 0.0650 मौजा/ग्राम शिवनगर तहसील दोहरा जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2025 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. डी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

प्रपत्र-11

पत्रांक . 222/14-1

दिनांक 16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

भुवनेश्वर चूड़ा खीरिया

ग्राम शिवानगर भुवनेश्वर चूड़ा पंचायत बलिया जिला

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 13/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 153 क्षेत्रफल 0.0656 मौजा/ग्राम शिवानगर तहसील बलिया जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2024-25 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. डी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

शामली वन प्रभाग

शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक सं- 2223/14-1 दि- 16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

मोहरीसंह पुडा झाभा

ग्राम शिवनगर प्रसरा ग्राम पंचायत वीवीए/अभा/वा/५

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं/१/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 143 क्षेत्रफल 0.0650 मौजा/ग्राम शिवनगर तहसील बैरगा जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2025 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. डी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक - 2225/14-1

दिनांक 16-05-2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक ...शामली वन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

उग्रपाठ पुत्र रहलु

ग्राम डीवीप्र जलालाबाद मजरा शिवनगर

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं./न/2024-25 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 133 क्षेत्रफल 0.0650 मौजा/ग्राम डीवीप्र जलालाबाद तहसील देहरादून जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 25/05/2025 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे.डी.रिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर



नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम-1927

पत्रांक - 2228/14-1 दि-16-5-2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक शामली वन प्रभाग शामली
पत्रांक

सेवा में,

प्रतिपक्षी (नाम व पता)

रमेशचन्द्र पुजा रतनसिंह

ग्राम - शिवनगर मझरा ग्राम पंचायत कीर्खीपुर जलावाला लखीमपुरा जिला शामली

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेंज केस सं. 12/2021/20 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि अपने आरक्षित/रक्षित वन की गाटा सं. 125 क्षेत्रफल 0.0612 मौजा/ग्राम शिवनगर तहसील लखीमपुरा जिला शामली में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार हैं कि आपने आरक्षित/रक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2021 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(जे. जी. सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

शामली वन प्रभाग
शामली

प्रभाग की सील मोहर





कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग,
शामली

पत्रांक 2230/14-1 शामली, दिनांक 16/05/2025

:-नोटिस:-

सेवा में

सुनील कुमार S/O प्राध्यापक

शिवनगर

बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-383 /28-3 दिनांक-14/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बीबीपुर जलालाबाद आरक्षित वन वन भूमि के खसरा संख्या-125 में लगभग 0.0612 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर निर्माण किया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16/05/2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग,
शामली

पत्रांक 2229/14-1 शामली, दिनांक 16/05/2025

:-नोटिस:-

सेवा में

व्यक्ति पूर्ण रावसिंह


गाँव शिवनगा

बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-383 /28-3 दिनांक-14/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बीबीपुर जलालाबाद आरक्षित वन वन भूमि के खसरा संख्या-125 मे लगभग 0.0612 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर निर्माण किया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखो सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16/05/2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग,
शामली

पत्रांक 2228 / 14-1 शामली, दिनांक 16/05/2025

-:नोटिस:-

सेवा में


रमेश चन्द्र पुल (एन लिट)

ग्राम - शिवनगा बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-383 /28-3 दिनांक-14/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बीबीपुर जलालाबाद आरक्षित वन भूमि के खसरा संख्या-125 में लगभग 0.0612 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर निर्माण किया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16/05/25 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2220/14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

-:नोटिस:-

सेवा में

रामफल S/O रामा


श्री. शिवराज

बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-385 /28-3 दिनांक- 14/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बीबीपुर जलालाबाद आरक्षित वन वन भूमि के खसरा संख्या-173 में लगभग 0.0650 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर भवन निर्माण किया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखो सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16-05-2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2221 / 14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

:-नोटिस:-

सेवा में

बिस्मिल 5/06/2025


गा. शितनगा

बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-385 /28-3 दिनांक- 14 05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बीबीपुर जलालाबाद आरक्षित वन वन भूमि के खसरा संख्या-173 मे लगभग 0.0650 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर भवन निर्माण किया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16-05-2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2222 / 14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

:-नोटिस:-

सेवा में

मुकेश S/O सीरीपा

शिवनगर बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-385 /28-3 दिनांक- 14/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बीबीपुर जलालाबाद आरक्षित वन वन भूमि के खसरा संख्या-173 मे लगभग 0.0650 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर भवन निर्माण किया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखो सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16-05-2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2223 / 14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

:-नोटिस:-

सेवा में


मोहरी सिं 510 आशा

बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-385 /28-3 दिनांक-14/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बीबीपुर जलालाबाद आरक्षित वन भूमि के खसरा संख्या-173 मे लगभग 0.0650 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर भवन निर्माण किया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखो सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16-05-2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2224 / 14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

-:नोटिस:-

सेवा में

भागा 5/0 आशा


2270-शिवनगर

बनाम उ0प्र0 सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-385 /28-3 दिनांक-14/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बीबीपुर जलालाबाद आरक्षित वन भूमि के खसरा संख्या-173 में लगभग 0.0650 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर भवन निर्माण किया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखो सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16-05-2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2225/14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

:-नोटिस:-

सेवा में

काविता ७/० प्रेम


श्री शिवराज

बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-385 /28-3 दिनांक-14/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बीबीपुर जलालाबाद आरक्षित वन भूमि के खसरा संख्या-173 मे लगभग 0.0650 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर भवन निर्माण किया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखो सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16-05-2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2226 / 14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

-:नोटिस:-

सेवा में


श्रीमान श्रीमान

श्रीमान श्रीमान.....बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-385 /28-3 दिनांक-14/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बीबीपुर जलालाबाद आरक्षित वन भूमि के खसरा संख्या-173 में लगभग 0.0650 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर भवन निर्माण किया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पत्ति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16-05-2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2227 /14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

-:नोटिस:-

सेवा में


लगापाल पुत्र/रहनु

गाँव शिवनगाँव.....बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-385 /28-3 दिनांक-14/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बीबीपुर जलालाबाद आरक्षित वन वन भूमि के खसरा संख्या-173 मे लगभग 0.0650 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर भवन निर्माण किया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखो सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/ अचल सम्पति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16-05-25 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 22/2/14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

—:नोटिस:—

सेवा में

देशपाल पुन आलमदीन


मुण्डकला टा-शामली

बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-378 /28-3 दिनांक-11/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा वन भूमि में साफ सफाई/जुताई कर फसल बोए गए थे आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दभेड़ी बुजुर्ग, तहसील कैराना, जिला शामली में वन भूमि के खसरा संख्या-281, 232, 244, 357, 295, 284, 290 म में लगभग 1.8031 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर खेती की जा रही है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16/05/2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये हैं।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2211/14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

—:नोटिस:—

सेवा में


राजसिंह पुत्र अलमजीन

बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-378 /28-3 दिनांक-11/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा वन भूमि में साफ सफाई/जुताई कर फसल बोए गए थे आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दभेड़ी बुजुर्ग, तहसील कैराना, जिला शामली में वन भूमि के खसरा संख्या-281, 232, 244, 357, 295, 284, 290 म में लगभग 1.8031 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर खेती की जा रही है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16/05/25 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये है।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2210/14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

-:नोटिस:-

सेवा में


सन्दीप पुत्र बलिविहा
शा.व.क. शा.व.क. शा.व.क.

बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-378 /28-3 दिनांक- 11/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा वन भूमि में साफ सफाई/जुताई कर फसल बोए गए थे आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दभेड़ी बुजुर्ग, तहसील कैराना, जिला शामली में वन भूमि के खसरा संख्या-281, 232, 244, 357, 295, 284, 290 म में लगभग 1.8031 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर खेती की जा रही है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक...16/05/2025 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये हैं।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2209/14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

—:नोटिस:—

सेवा में

हरदीप पुत्र चैनसिंह

बुजुर्गा

वनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-378 /28-3 दिनांक- 11/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा वन भूमि में साफ सफाई/जुताई कर फसल बोए गए थे आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दभेड़ी बुजुर्गा, तहसील कैराना, जिला शामली में वन भूमि के खसरा संख्या-281, 232, 244, 357, 295, 284, 290 म में लगभग 1.8031 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर खेती की जा रही है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किया जायेगा। आज दिनांक 16/05/25 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये हैं।





कार्यालय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 2208 / 14-1 शामली, दिनांक 16-05-2025

—:नोटिस:—

सेवा में

कामिल पुल घोटा

श्री दशरथ बुजुर्ग

बनाम उ०प्र० सरकार

क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-378 /28-3 दिनांक-11/05/2025 के द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा वन भूमि में साफ सफाई/जुताई कर फसल बोए गए थे आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दभेड़ी बुजुर्ग, तहसील कैराना, जिला शामली में वन भूमि के खसरा संख्या-281, 232, 244, 357, 295, 284, 290 म में लगभग 1.8031 हेक्टेयर में अवैध कब्जा कर उस पर खेती की जा रही है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उक्त वन भूमि के सम्बंध में यदि कोई वैध अभिलेख आपके पास उपलब्ध है तो उसको नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद 02 दिवस के अंदर समस्त अभिलेखों सहित प्रभागीय कार्यालय शामली में स्वयं अथवा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में बेदखली के आदेश निर्गत कर बल पूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा जिस पर आने वाला व्यय आपकी चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किया जायेगा।

आज दिनांक 16/05/25 को उक्त मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर सील मोहर से जारी किए गये हैं।



कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

पत्रांक:- 2231/14-1(NGT) शामली,

दिनांक:- 16-05-2025।

:-कार्यालय आदेश:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित रिट संख्या 915/2024 बनाम अमित कुमार यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 08.11.2024 को ग्राम (दभेड़ी बुजुर्ग, बीबीपुर जलालाबाद, पावटी खुर्द, बरनावी, अकबरपुर सुनेहटी, रतोंद, बीबीपुर हटिया) में अतिक्रमित वन भूमि को कब्जा मुफ्त कराकर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु जिलाधिकारी शामली व प्रभागीय वनाधिकारी शामली को निर्देश मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये थे। जिसमें राजस्व विभाग एवं वन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त सर्वे के उपरान्त 526 खसरों में से 154 खसरों का ही चिन्हांकन/सीमांकन हो सका था एवं वर्तमान में 12.05.2025 तक कुल 176 खसरों का चिन्हांकन/सीमांकन हो सका है। 27.02.2025 के आदेश के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ने आदेशित किया है कि **The affidavit also does not disclose any timeline for completing the survey and identification of the encroachment in the remaining khasra numbers.** वर्तमान में 526 खसरों में से 350 खसरे पैमाईश हेतु अवशेष है। जिसके लिए टाईमलाईन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	कुल पैमाईश हेतु खसरा सं०	पैमाईश किये गये खसरों की सं०	पैमाईश हेतु अवशेष खसरा	पैमाईश में लगने वाला समय
1	2	3	5	6	9
1	दभेड़ी बुजुर्ग	64	64	0	0
2	बीबीपुर जलालाबाद	70	55	15	10 दिवस
3	पावटी खुर्द	96	11	85	42 दिवस
4	बरनावी	180	24	156	78 दिवस
5	रतोंद	43	0	43	22 दिवस
6	बीबीपुर हटिया	73	22	51	25 दिवस
7	अकबरपुर सुनेहटी	-	-	-	-
	योग	526	176	350	177 दिवस


नोट अकबरपुर सुनेहटी ग्राम हेतु याचिका कर्ता द्वारा 261 भी खसरा सं०/राजस्व अभिलेख संलग्नक नहीं किये गये है।


(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
शामली

पत्रांक 2231/14-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को इस आशय से प्रेषित कि आप टाईमलाईन के अनुसार चिन्हाकन/सीमांकन कार्य कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— उप जिलाधिकारी ऊन/कैराना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे प्रकरण मा० एन०जी०टी से आच्छादित है।


(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
शामली

कार्यालय तहसीलदार कैराना जनपद-शामली।

संख्या:- 133/एस0टी0

दिनांक:- 17.05.2025

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित रिट संख्या 915/2025 वनाम अमित कुमार यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में 526 खसरो में से अवशेष 350 खसरे का चिन्हांकन/सीमांकन कराने हेतु उप जिलाधिकारी के निर्धारित समय के अन्तर्गत कराने हेतु राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त निम्न प्रकार टीम गठित की जाती है।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	गठित टीम
1	दभेडी बुजुर्ग	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. श्री अकरम, लेखपाल
2	बीबीपुर जलालाबाद	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. पूजा खैवाल, लेखपाल
3	पांवटी खुर्द	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. लवकेश, लेखपाल
4	बरनावी	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. पंकज, लेखपाल
5	रटौंद	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. लवकेश, लेखपाल
6	बीबीपुर हटिया	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. पंकज, लेखपाल
7	अकबरपुर सुन्हेटी	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. राजीव वर्मा, लेखपाल

उक्त के सम्बंध में आपको निर्देशित किया जाता है, कि वन विभाग की टीम से सम्न्वय स्थापित कर यथासमय सीमांकन/चिन्हांकन कराना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार
कैराना।

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय वनाधिकारी कैराना/ऊन को रेंज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह वन विभाग के सर्वेयर एवं सम्बंधित फिल्ड स्टाफ के साथ मौके पर उपस्थित रहने हेतु।
2. उप जिलाधिकारी कैराना को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

तहसीलदार
कैराना।







266

पावटी वन ब्लॉक



दमोडी बुजुगि वम व्हाण

267





© 2012 Google

Google Earth

Imagery Date: 5/2/2012 29°32'15.66" N 77°10'52.84" E elev: 847 ft eye alt: 2.43 m



पगडी वन ब्लॉक

270



संयुक्त निरीक्षण सर्वे रिपोर्ट

ग्राम वरनावी में वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वन विभाग के वर्तमान में 24 खसरी नम्बरी की संयुक्त पैमाइश की गई है। अब तक की पैमाइश के दौरान वन भूमि पर जो छुट-पुट अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण के बारे में कारतकारों व अन्य गामिनों से जानकारी ली गई जिसमें यह बात हुआ की कारतकारों द्वारा किया गया, अतिक्रमण लगभग 25 से 30 साल पूर्व में अज्ञानता वश फसल की बुवाई की जा रही थी। जो प्रकरण संज्ञान में आने पर वर्तमान में पैमाइश के बाद अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है।

Sumit Kumar

(सुमित कुमार)

सर्वेयर

शामली वन प्रभाग, शामली



(वंश मलिक)

वन परीक्षा/सर्वेक्षण

प्रभारी कैराना

विपिन कुमार

(विपिन कुमार)

वन रक्षक/वीरु

प्रभारी वरनावी



क. 62777

संयुक्त निरीक्षण सर्वे रिपोर्ट

ग्राम बीबीपुर हरिया में वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वन विभाग के वर्तमान में 22 खसरा नम्बरों की संयुक्त पैमाइश की गई है। अब तक की पैमाइश के दौरान वन भूमि पर जो छुट-पुट अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण के बारे में कारशकारों व अन्य म्तामीनों से जानकारी ली गई जिसमें यह ज्ञात हुआ की कारशकारों द्वारा किया गया अतिक्रमण लगभग 20 से 25 साल पूर्व में अज्ञानता वश फसल की बुवाई की जा रही थी। जो प्रकरण संस्थान में आने पर वर्तमान में पैमाइश के बाद अतिक्रमण सुक्त करा लिया गया है।

Sumit kumar
(सुमित कुमार)
(सर्वेयर)
वन विभाग सामली

वंश
(वंश मालिक)
वन दुरंगा सैक्सन
उभारी केराना
किपिन कुमार

(विपिन कुमार)
वन रक्षक। बीट
उभारी बरनावी

Sanjay
02770

ग्राम दभेडी बुजुग परभना - बिडौली तहसील - केरना में वनविभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वनविभाग के वर्तमान में 12 खसरा नम्बरान की संयुक्त पैमाइश के दौरान वन भूमि पर जो इट-पुट अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण के बारे में काश्तकारों व अन्य ग्रामीणों से जानकारी ली गई। तबसे यह बात हुआ कि काश्तकारों द्वारा किया गया अतिक्रमण लगभग 20 से 25 साल पूर्व में अज्ञानता वंश फसल की बुवाई की जा रही थी। जो प्रकरण संज्ञान में आने पर वर्तमान में पैमाइश के बाद अतिक्रमण सुक्त करा लिया गया है।

Sandeep Raug
संवे 4 2011
20/20

(जो) (जो) (जो)
(जो) (जो) (जो)
य.र.

अध्यापक
शेखर सिंह

(सुमित कुमार)
सर्वेयर

संयुक्त निरीक्षण सर्वे रिपोर्ट

ग्राम - बीबीपुर जलालाबाद में वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वन विभाग के वर्तमान में 15 स्वसरा नम्बरान की संयुक्त पैमडिश के दौरान वन भूमि पर जो ड्रट-पुट अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण के बारे में काश्तकारों व अन्य ग्रामीणों से जानकारी ली गई। जिसमें यह ज्ञात हुआ की काश्तकारों द्वारा किया गया अतिक्रमण लगभग - 20 से 25 साल पूर्व में अज्ञानता वंश फसल की बुवाई की जा रही थी। जो प्रकार संज्ञान में आने पर वर्तमान में पैमडिश के बाद अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है।

1A
बीबीपुर जलालाबाद

(सुमित कुमार)
व.र.

Sumit Kumar
(सुमित कुमार)
सर्वेयर

Sandeep Rana
संदीप रणा
व.र.

संयुक्त निरीक्षण / सर्वे रिपोर्ट

माम पावली खुर्द में वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वन विभाग के वर्तमान में 11 खसरा नम्बरो की संयुक्त पैमाइश की गई है, अब तक की पैमाइश के दौरान वन भूमि पर जो छुट-पुट अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण के बारे में काश्तकारी व अन्य शामीनी से जानकारी ली गई जिसमें यह ज्ञात हुआ की काश्तकारी द्वारा किया गया, अतिक्रमण लगभग 25 से 30 साल पूर्व में अनजानता वश फसल की बुवाई की जा रही थी। जो प्रकरण संज्ञान में आने पर वर्तमान में पैमाइश के बाद अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है।

Sumit Kumar
(सुमित कुमार)

सर्वेयर

शामली वन प्रभाग, शामली

Sandeep Rana

संक्षेप 2000
वन टांक

(जोगेंद्र कुमार)
वन टांक

RMA
क्षेत्र जमालपुर

लवकोश कुमार (लेखपाल)
क्षेत्र... जमालपुर

श्रीमती इकबाल कौर
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत तिसंग (दभेड़ी बुजुर्ग)
वि० ख० ऊन जनपद-शामली

“ सम्मान ही सेवा है ”



बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ

श्री रुम सिंह
प्रधानपति

Mob. 9761400003

पत्रांक ...540.....

दिनांक 21/5/2025.....

मैंने ग्राम पंचायत तिसंग के मजरा दभेड़ी/बुजुर्ग
के वन विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त
पैमाइश दुयी थी संयुक्त पैमाइश में जो वन
विभाग की भूमि पर जो छुट-पुट आतिक्रमण
पाया गया है उसके बारे में माहत्कारों एवं कार्रवाई
में जानकारी ली गयी जिसमें यह बात हुआ
कि यह छुट-पुट आतिक्रमण लगभग 45-50 साल
पुराना है। वर्तमान में कोई नया आतिक्रमण नहीं हुआ है

इकबाल कौर
श्रीमती प्रधान

ग्राम पंचायत तिसंग (दभेड़ी बुजुर्ग)
वि० ख० ऊन जिला शामली

ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद

वि०ख०-ऊन, जनपद-शामली (उ०प्र०)

निवास-

श्रीमती बबली देवी
ग्राम प्रधान



ग्राम-बीबीपुर जलालाबाद, वि०ख०-ऊन
जनपद-शामली (उ०प्र०)

Mob.: 9758242972

W/o श्री दिनेश कुमार

पत्रांक 06.....

दिनांक

मैं श्रीमती बबली देवी W/o श्री दिनेश कुमार नि० बीबीपुर जलालाबाद
ख०-ऊन-सिंझाना, थाना सिंझाना, तहसील-ऊन, जिला-शामली
जनपद-शामली की मूल निवासी हूँ और वर्तमान में
ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद के प्रधान पद पर हूँ। मेरी
ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद के तहसील शिवनगर व बानीपुर
ख०-ऊन-सिंझाना जो ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद में ख०-ऊन
ग्राम रतौन्दा ख०-ऊन-सिंझाना में हूँ। ग्राम शिवनगर व बानीपुर ख०-ऊन-सिंझाना
तहसील-ऊन, जिला-शामली में तहसील लगभग 90, 95 वर्षों से बसे हुए
हैं। मेरा यह तथ्य सही है। धन्यवाद

बबली देवी
ग्राम प्रधान श्रीमती बबली देवी
ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद
वि० ख० ऊन जनपद (शामली)

ग्राम पंचायत बीबीपुर हरिया

278

असजद
प्रधान

ब्लाक कैराना, जनपद शामली

मो. 7351628144
7500661435

पत्रांक.....

दिनांक 15-05-2025

सेवा में

श्रीमान महोदय

सिनेदन यह है कि मेरे गाव बीबीपुर हरिया थाना कैराना तहसील कैराना जिला शामली द्वारा लगभग 45-50 साल पहले अन्जामे में कुछ व्याप्तियों के पिता दादा जी ने वन विभाग की खाली पडी भूमि पर खेती कर दी गयी थी जो अब पैमाइश में वन विभाग द्वारा छुडा ली गई है

असजद
प्रधान (असजद)
ग्राम पंचायत बीबीपुर हरिया
बि०ख० कैराना, जिला शामली

वौधरी इरफान हसन

प्रधान- ग्राम बरनावी

तह० कैराना, जनपद शामली (उ०प्र०)

निवास स्थान:

ग्राम-बरनावी, तह० कैराना (शामली)

मो० 7500234283

पत्रांक.....

दिनांक: 13-05-2025

सेवा में

श्रीमान महेन्द्र

निवेदन यह है कि मेरे गाँव बरनावी थाना

कैराना तह० कैराना जिला शामली

के द्वारा लगभग 45.50 साल पहले

अनाजाने से कुछ व्यक्तियों के पिला व दादा

जी ने वन विभाग कि आली पड़ी भूमी पर

बेबी कर ली गई थी जो अब पैम्पल में

वन विभाग के द्वारा छुड़ा लि गई है।

इरफान

इरफान प्रधान

ग्राम पंचायत बरनावी

वि० ख० कैराना (शामली)

ग्राम पंचायत वैदखेडी जनपद शामली

ग्राम प्रधान
अमीर आलम
M. 8218822013, 9720589231

(पावटी खुर्द)

निवास : ग्राम वैदखेडी
विकास खण्ड ऊन
जनपद शामली (उ०प्र०)

मैं श्री अमीर आलम ४० सुखवीरा निवासी ग्राम पंचायत वैदखेडी
थाना सिंसांना तहसील करमा जनपद शामली का
मूल निवासी हूँ। और मैं ग्राम पंचायत वैदखेडी से
प्रधान पद पर हूँ। मेरी ग्राम पंचायत वैदखेडी में जलरा
पावटी खुर्द में वन विभाग व राजस्व विभाग की संभूक्त
पैसाइश हुई थी संभूक्त पैसाइश में जो वन विभाग की भूमि पर
जो चुट चुट अतिक्रमण पाया गया है उसके बारे में जानकारी
रख शायीने से जानकारी ली गयी जिससे यह पता हुआ
की यह चुट चुट अतिक्रमण लगभग ५० ५५ साल पुराना
है। वर्तमान में कोई नया अतिक्रमण नहीं हुआ है।



दिनांक
२१-०५-२०२५

क्रम-संख्या	जिला	महसोल	परगना	ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ों में	तीना-विवरण
१	२	३	४	५	६	७
३२	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	कैराना	मसकपुर, ब्लाक नं० १३	७५.४०	उत्तर--प्लाट नं० ४६। पूर्व--प्लाट नं० ४७। दक्षिण--प्ल ट नं० ४४। पश्चिम--प्लाट नं० ४३/२ और ४४।
"	"	"	योकीपुर, हातिमा	३३६०	६६-४०	उत्तर--प्लाट नं० ६१ से ६७ और सरहद ग्राम कवाटी खुर्द। पूर्व--सरहद ग्राम कवाटी खुर्द, प्लाट नं० ८१, ८८, ३७६, ३८९, ३८६, ३८७, ३७५, ३४५, ४६५, ४३९, ४३८, ४३८, ४३२, ४३१, २९२, २६१, २६०, ५००/१-२-३ और ४४०। दक्षिण--सरहद ग्राम हेरी, अकबरपुर मुनहेरी और प्लाट नं० २६८, ५००/१-२-३, ४४६, ४६१, ४६०, ४२३, ४२४, ३४४, ३७३, ३८९ और ३७७। पश्चिम--सरहद ग्राम बरनाबी और अकबर मुनहेरी। उत्तर--प्लाट नं० ४०२ से ४०४, ४१० और सरहद कस्बा कैराना। पूर्व--सरहद कस्बा कैराना और प्लाट नं० ४६७ से ४६६, ४००, ५०१, ५०३ से ४०४, ४१०, ४१२, ४१४, ४१६ और ४१७। दक्षिण--सरहद ग्राम 'नजीब' और हंबरपुर। पश्चिम--प्लाट नं० ४१५, ४०३, ४१४, ४१७ से ४१६, ४८८ से ४६०, ४३१, ४७७, ४७९, ६३० से ६३३, ५३३ और ४६०। टिप्पणी--प्लाट नं० ४१२ सम्मिलित नहीं है।
"	"	"	रामना, ब्लाक नं० २	११६०	११६०	उत्तर--प्लाट नं० १००, ६६, ११८ से १२०, २७५, ७८७ और ११२। पूर्व--प्लाट नं० ११२, २३५, २४५ से २४३, २५७ से २५६, २७५, २७६, २७८, ७८७, ७६४, ७९३, ७६६, ८०१, ८१७, ८१८, ८१९, ८८०, ६७१ और ११७०। दक्षिण--प्लाट नं० १०४०, ६६८ से १०००, १६२, १६४, ९६८ से ६७०, ३६६, ८६६, ८८९ और ८८०। पश्चिम--ममूननबी।
"	कराना	बिबोली	श्री और श्री	३३४०	३३४०	उत्तर--सरहद ग्राम चौसाना और प्लाट नं० १८७/१-२-३, १८६, १८३ से १८५। पूर्व--प्लाट नं० ३४२, ३४३, ३३२, ३३१, ३२४, ३१६, ३४१, ५७३, ५६४, ५६२, ३३३। दक्षिण--प्लाट नं० ५७६, ५७४, ५६५, ५६६, ५५४, ५५३, ५४१, २६२, २३६, २३५, २४४, २३२, १६४, १६५, २९०, २१६, २६६, ३००, ३१४ और ३१६। पश्चिम--प्लाट नं० १७५, १७८, १४४, १४३ से १४२, १३१, ११६, ११७, ११८/१, ११४, ७४, ७५, ७८, ७६, ८४, ८६, ८८, ८६, ८१ और ६०।
"	"	"	भेरी	३०	३०	उत्तर--प्लाट नं० ३५७ से ३५६। पूर्व--सरहद ग्राम अलीपुरा। दक्षिण--प्लाट नं० ३६५ और ३६६। पश्चिम--प्लाट नं० ३५४।
"	"	"	भेरी	२०	२०	उत्तर--प्लाट नं० ३७८ और ३५४। पूर्व--प्लाट नं० ३७६ और ३८०। दक्षिण--प्लाट नं० ३८८। पश्चिम--प्लाट नं० ३५४।

33

क्रम-संख्या	जिला	तहसील	ग्रामनाम	ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ों में	श्रीमान-निवासी
१	२	३	४	५	६	७
३९	मुजफ्फरनगर	भेरावा	बिंदीची	रतौन्द, ब्लाक नं० १	५०३.०	उत्तर--सरहद ग्राम रेगेरी वृद्धमं और श्रीवी गुरजानगपुर। पूर्व--सरहद ग्राम श्रीबीपुर जालनपुर और प्लाट नं० ३६१ से ३६४, ३६१, ३६०, ३२६ से ३२९, ५२ से ५४, १०१, २३८ से १४१। दक्षिण--सरहद ग्राम मनमुरा और प्लाट नं० ५९, ४९, २२६, २२६, २३१, ३५३ से ३५४, ३५९, ३६४, ३६८, २८० से २८२। पश्चिम--सरहद ग्राम तंग और प्लाट नं० ६६, ७०, ७१, ७८, ७९, ७९, ८३ और ८५ से ८७। द्विपणी--प्लाट नं० २१, ३८४, ४४०/१ अधिमिलित नहीं हैं। उत्तर--प्लाट नं० १००, ११२, १३२, १३४। पूर्व--प्लाट नं० १०८। दक्षिण--प्लाट नं० ११४, १२६, १२८, १४७ और १३७। पश्चिम--प्लाट नं० १३८। उत्तर--प्लाट नं० १४७, १२८, १२९, ११४, १७०, १०७ और १८९। पूर्व--प्लाट नं० १८६, १८७, १७१, १७२, १८३ और १८२। दक्षिण--प्लाट नं० १८०, १७८, १६०, १५७, १५४ और १५५। पश्चिम--प्लाट नं० १४२, १५८ और १५३। उत्तर--प्लाट नं० १९६, १९५ और २००। पूर्व--प्लाट नं० २०२, १९४, १९१, १९०/२ और १९२। दक्षिण--प्लाट नं० २०१, १९४, १८४ और १८६। पश्चिम--प्लाट नं० १८९, १९५, १९६। उत्तर--प्लाट नं० ५१, ५२, ५०। पूर्व--प्लाट नं० १०५। दक्षिण--प्लाट नं० १११, ११०, १०६। पश्चिम--प्लाट नं० १०१।
"	"	"	"	रतौन्द, ब्लाक नं० २	६.०	उत्तर--सरहद ग्राम भेरी। पूर्व-- सरहद ग्राम भेरी। दक्षिण--सरहद ग्राम भेरी। पश्चिम--सरहद ग्राम भेरी।
"	"	"	"	रतौन्द, ब्लाक नं० ३	६.०	उत्तर--प्लाट नं० ४३२, ४१२ और ४२८। पूर्व--सरहद ग्राम सकोती और प्लाट नं० ४१२। दक्षिण--प्लाट नं० ४२८ और ५०३। पश्चिम--प्लाट नं० ५१०, ४६८, ४९५, ४६४, ४२८ और ५०१।
"	"	"	"	रतौन्द, ब्लाक नं० ४	३.०	उत्तर--सरहद ग्राम लोड सभा और प्लाट नं० ११९। पूर्व--सरहद ग्राम सकोती और प्लाट नं० २१४, २१५। दक्षिण--प्लाट नं० ४२४, ३२८, ४२२ और ३४२। पश्चिम--प्लाट नं० २३८, २३६, १७६, १७८ से १८२, १३०, १३१, १३६ और १३५।
"	"	"	"	रतौन्द, ब्लाक नं० ५	७.०	उत्तर--प्लाट नं० २७६, २७३, २७२, २७०, २६९, २६८, २६७, २६६, ५४३, १७६ और २५०। पूर्व--प्लाट नं० ४०३, ४०४, ३४६, २४८, २४३। दक्षिण--प्लाट नं० ४०८, ४३७, ४३८ से ४५०, ४६४ और ३९८। पश्चिम--प्लाट नं० ३६५, ३६६, ३७८, ३७९, ३८१, ३८२ और ४९०।
४०	"	मुजफ्फरनगर	"	मुस्तफाबाद, ब्लाक नं० १	५२.०	उत्तर--सरहद ग्राम भेरी। पूर्व-- सरहद ग्राम भेरी। दक्षिण--सरहद ग्राम भेरी। पश्चिम--सरहद ग्राम भेरी।
"	"	"	"	मुस्तफाबाद, ब्लाक नं० २	२३.०	उत्तर--प्लाट नं० ४३२, ४१२ और ४२८। पूर्व--सरहद ग्राम सकोती और प्लाट नं० ४१२। दक्षिण--प्लाट नं० ४२८ और ५०३। पश्चिम--प्लाट नं० ५१०, ४६८, ४९५, ४६४, ४२८ और ५०१।
"	"	"	"	मुस्तफाबाद, ब्लाक नं० ३	५४.०	उत्तर--सरहद ग्राम लोड सभा और प्लाट नं० ११९। पूर्व--सरहद ग्राम सकोती और प्लाट नं० २१४, २१५। दक्षिण--प्लाट नं० ४२४, ३२८, ४२२ और ३४२। पश्चिम--प्लाट नं० २३८, २३६, १७६, १७८ से १८२, १३०, १३१, १३६ और १३५।
"	"	"	"	मुस्तफाबाद, ब्लाक नं० ४	२७.८४	उत्तर--प्लाट नं० २७६, २७३, २७२, २७०, २६९, २६८, २६७, २६६, ५४३, १७६ और २५०। पूर्व--प्लाट नं० ४०३, ४०४, ३४६, २४८, २४३। दक्षिण--प्लाट नं० ४०८, ४३७, ४३८ से ४५०, ४६४ और ३९८। पश्चिम--प्लाट नं० ३६५, ३६६, ३७८, ३७९, ३८१, ३८२ और ४९०।

सीमा वर्णन

वन सीमा बद्ध तालिका ग्राम/वन ब्लाक बीबीपुर जलालाबाद ब्लाक नं० १

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की अनुमानित दिशा	अगले स्तम्भ का अनुमानित चुम्बकीय कोण		अगले स्तम्भ की नापी गयी अनुमानित दूरी (जरीबों में)	अगले स्तम्भ तक की सीमा की दूरी	विशेष विवरण
			अग्रिम	पार्श्व			

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

सीमांकन कार्य बन्दोबस्ती स्तम्भ से आरम्भ किया है जोकि ग्राम अलाउद्दीनपुर, खेड़ी जनारदर तथा बीबीपुर जलालाबाद की सीमा पर स्थित है

१	ग्राम बीबीपुर जलालाबाद तथा खेड़ी जनारदर की सीमा पर स्थित है	उ०प०प०	३००.००	१२०.००	५.००	सीधी लाइन
२	"	"	३००.००	१२०.००	६.७५	"
३	"	"	२७१.३०	६१.३०	७.७५	"
४	"	"	२८८.३०	१०८.३०	६.७५	"
५	"	"	२८८.३०	१०८.३०	६.७५	"
६	"	द०प०प०	२६६.००	८६.००	६.००	"
७	"	उ०प०प०	२८०.३०	१००.३०	७.००	"
८	"	"	२७२.००	६२.००	१३.००	"
९	ग्राम दमेड़ी बुजुगं, जनारदर तथा बीबीपुर जलालाबाद का सीमा पर स्थित है। यहा बन्दोबस्ती स्तम्भ भी है	द०प०द०	२१३.३०	३३.३०	५.००	"
१०	ग्राम दमेड़ी बुजुगं तथा बीबीपुर जलालाबाद का सीमा पर स्थित है	"	२१३.३०	३३.३०	४.५०	"
११	"	"	२१७.३०	३७.३०	५.००	"
१२	"	"	२१३.३०	३३.३०	४.५०	"
१३	"	"	२१४.३०	३४.३०	५.००	"
१४	"	"	२०२.००	२२.००	४.२५	"
१५	"	"	१६७.३०	१७.३०	६.७५	"
१६	"	"	१२६.००	३०६.००	४.५०	"
१७	ग्राम दमेड़ी बुजुगं, रतोद तथा बीबीपुर जलालाबाद का सीमा पर स्थित है यही बन्दोबस्ती स्तम्भ भी है	द०प०प०	१२६.००	३०६.००	४.५०	"
१८	ग्राम बीबीपुर जलालाबाद तथा रतोद की सीमा पर स्थित है	"	१२६.००	३०६.००	५.००	"
१९	"	"	१२६.००	३०६.००	४.७५	"
२०	"	द०प०द०	२०३.००	२३.००	१.२०	"
२१	"	द०प०प०	१२५.००	३०५.००	६.००	"
२२	"	द०प०द०	१३८.००	३१८.००	३.६०	"
२३	"	"	१५१.००	३३१.००	५.६०	"
२४	"	"	१५७.३०	३३७.३०	५.००	"
२५	"	"	१५७.३०	३३७.३०	५.२५	"
२६	"	"	१५७.३०	३३७.३०	५.२५	"
२७	"	उ०प०प०	६०.००	७४०.००	६.२०	"
२८	"	द०प०द०	१४०.००	३२०.००	६.००	"

खमरा गाट नं० २०१ व २१० का मंड पर स्थित है

३३	ख० प्लाट नं० २०८ व २१० की मेड़ पर स्थित है	द०प०प०	२१६.००	३६.००	४.३०	गीर्षी साउन
३०	ख० प्लाट नं० २१४ में स्थित है	उ०प०प०	२८७.००	१०७.००	५.६०	"
३१		द०प०द०	१६७.००	१७.००	८.५०	"
३२	शाम बीबीपुर जलालाबाद व रतीद की सीमा पर स्थित है	द०पू०द०	१५८.००	३३८.००	८.१०	"
३३	"	द०पू०द०	१५८.००	३३८.००	४.५०	"
३४	"	द०पू०पू०	१०१.००	२८१.००	७.६०	"
३५	ख० प्लाट नं० २२१, २२२, २२४ व २२५ के कोने पर स्थित है	उ०पू०पू०	५२.००	२३२.००	६.००	"
३६	ख० प्लाट नं० २२०, २२१, २२२ व २३६ के कोने पर स्थित है	"	५३.००	२३३.००	१.७५	"
३७	ख० प्लाट २२०, २३६, २४० के कोने पर स्थित है	"	५६.००	२३६.००	२.७५	"
३८	ख० प्लाट नं० २४६, २२०, २४० के कोने पर स्थित है	द०पू०द०	१४७.००	३२७.००	१.००	"
३९	ख० प्लाट नं० २१६, २४० व २४७ के कोने पर स्थित है	उ०पू०पू०	४६.३०	२२६.३०	३.००	"
४०	ख० प्लाट नं० २१६, २४७ व २४८ के कोने पर स्थित है	उ०पू०पू०	४६.३०	२२६.३०	३.७०	"
४१	ख० प्लाट नं० २१६, २५१ व २५३ के कोने पर स्थित है	उ०प०उ०	३१८.००	१३८.००	२.५०	"
४२	ख० प्लाट नं० २१६, २५३ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	३४.३०	२१४.३०	३.६०	"
४३	ख० प्लाट नं० २१६, २५३ व २५५ के कोने पर स्थित है	"	२५.३०	२०५.३०	४.३०	"
४४	ख० प्लाट नं० २६२ व २६३ की मेड़ पर स्थित है	उ०प०प०	३००.००	१२०.००	६.००	"
४५	ख० प्लाट नं० २६२ व २६३ की मेड़ पर स्थित है	"	३००.००	१२०.००	७.१०	"
४६	ख० प्लाट नं० २१७, २०८ व १६४ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	४११.००	२२१.००	१.५०	"
४७	ख० प्लाट नं० २१७, १६३ व १६४ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	३१२.००	१३२.००	६.४०	"
४८	ख० प्लाट नं० १६५, २०६ व २०८ के कोने पर स्थित है	उ०प०उ०	३२१.००	१४१.००	५.००	"
४९	ख० प्लाट नं० २०७, २०८ की मेड़ पर स्थित है	"	३२१.००	१४१.००	६.३०	"
५०	ख० प्लाट नं० ८७, २०७ व २०८ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	४०.००	२२०.००	१.६५	"
५१	ख० प्लाट नं० ८७, २०३, २०५ के कोने पर स्थित है	उ०प०उ०	३३६.००	१५६.००	३.८५	"
५२	ख० प्लाट नं० ८७ व ८८ के कोने पर स्थित है	"	३५८.००	१७८.००	४.५०	"
५३	प्लाट नं० ८७, ८६ व ६० के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	३०६.००	१२६.००	०.७०	"
५४	ख० प्लाट नं० ८७ व ६० के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	१०.००	१६०.००	६.७५	"
५५	ख० प्लाट नं० ६३ व ६७ की मेड़ पर स्थित है	उ०पू०उ०	३३.००	२१३.००	३.३०	"
५६	ख० प्लाट नं० ६३, ६८ व १०१ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	३१३.३०	१३३.३०	२.००	"
५७	ख० प्लाट नं० ८३, ६३ व १०१ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	४२.००	२२२.००	३.३०	"

१	२	३	४	५	६	७	८
५८	ख० प्लाट नं० ८३, १०१ व १०२ के उ०पू०पू० कोने पर स्थित है		४६.००	२२६.००	३.४०		सीधी लाइन
५९	ख० प्लाट नं० ५५, ८३ व १०२ के उ०पू०उ० कोने पर स्थित है		३३०.००	१५०.००	१.००		"
६०	ख० प्लाट नं० ५५, ५६, ८१ व ८३ के कोने पर स्थित है	द०पू०पू०	२३५.००	५४.००	३.००		"
६१	ख० प्लाट नं० ८२, ८३ व ८४ के कोने पर स्थित है	"	२३८.००	५८.००	८.५०		"
६२	ख० प्लाट नं० ८३, ८४, ८५ व ८६ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	३२०.३०	१४०.३०	१.४०		"
६३	ख० प्लाट नं० ७६, ८४ व ८५ के कोने पर स्थित है	उ०पू०पू०	५६.३०	२३६.३०	६.५०		"
६४	ख० प्लाट नं० ७६, ८२ व ८४ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	६.३०	१८६.३०	२.६०		"
६५	ख० प्लाट नं० ५६, ७६ की मेड़ पर स्थित है	उ०पू०पू०	३०४.००	१२४.००	६.००		"
६६	ख० प्लाट नं० ६०, ७६ की मेड़ पर स्थित है	उ०पू०उ०	३३०.००	१५०.००	५.५०		"
६७	ख० प्लाट नं० ६१ व ७२ की मेड़ पर स्थित है	उ०पू०उ०	१२.००	१६२.००	४.००		"
६८	ख० प्लाट नं० ६२, ६४, ७१ व ७२ के कोने पर स्थित है	"	३५.००	२१५.००	४.००		"
६९	ख० प्लाट नं० ६५, ६६ तथा ७१ के कोने पर स्थित है	"	२२.००	२०२.००	४.२०		"
७०	ख० प्लाट नं० ४, ७० व ७१ के कोने पर स्थित है	उ०पू०पू०	२६२.००	११२.००	२.००		"
७१	ख० प्लाट नं० २, ४, व ७१ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	१२.३०	१६२.३०	२.६०		"
७२	ख० प्लाट नं० २, ३ व ४ के कोने पर स्थित है	द०पू०पू०	१०७.००	२८७.००	१.५०		"
७३	ख० प्लाट नं० ३, ४, ५ व ६ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	६.००	१८६.००	५.४०		"
७४	ख० प्लाट नं० ३, ८ व ६ के कोने पर स्थित है	द०पू०पू०	११४.००	२६४.००	०.७०		"
७५	ख० प्लाट नं० ८ व ९ के कोने पर स्थित है	द०पू०द०	१८१.००	१.००	५.४०		"
७६	ख० प्लाट नं० ५, ६ व ९ के कोने पर स्थित है	द०पू०पू०	१०७.३०	२८७.३०	२.५०		"
७७	ख० प्लाट नं० ४, ९ व १० के कोने पर स्थित है	द०पू०द०	२००.००	३०.००	३.३०		"
७८	ख० प्लाट नं० ४, १० व ११ के कोने पर स्थित है	उ०पू०पू०	२९२.००	११२.००	०.८०		"
७९	ख० प्लाट नं० ४, ११ व ६९ के कोने पर स्थित है	द०पू०द०	२१०.३०	३०.३०	४.६०		"
८०	ख० प्लाट नं० ११, ६३ व ६६ के कोने पर स्थित है	"	२१६.३०	३६.३०	२.००		"
८१	ख० प्लाट नं० ६३, ६४ व ६५ के कोने पर स्थित है	द०पू०पू०	१३३.३०	३१३.३०	४.००		"
८२	ख० प्लाट नं० ६३ में स्थित है	"	१३३.३०	३१३.३०	५.८०		"
८३	ख० प्लाट नं० ६३ में स्थित है	द०पू०द०	२०५.००	२५.००	२.००		"
८४	"	द०पू०द०	१३८.००	३१८.००	५.५०		"
८५	ख० प्लाट नं० ५२, ५३ व १०५ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	३२.००	२१२.००	४.५०		"
८६	ख० प्लाट नं० ४६, ५१ व १०७ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	३२.००	२१२.००	४.६०		"

39

क्र	विवरण	उ० प० उ०	१	२	३	४
८०	ख० प्लॉट नं० ४६, ४७ व ४८ के कोने पर स्थित है	उ० प० उ०	५.००	१८५.००	३.५०	सीधी लाइन
८८	ख० प्लॉट नं० ४८ व ५१ के कोने पर स्थित है	उ० प० प०	८२.००	२६२.००	१.००	"
८९	ख० प्लॉट नं० ४८, ५० व ५१ के कोने पर स्थित है	उ० प० उ०	२२.००	२०२.००	५.५०	"
९०	ख० प्लॉट नं० ४० व ४९ की मेड़ पर है	द० प० प०	१०९.३०	२८९.३०	४.४०	"
९१	ख० प्लॉट नं० ४० व ४३ की मेड़ पर है	द० प० प०	११५.००	२९५.००	२.५०	"
९२	ख० प्लॉट नं० ४० व ४३ के कोने पर स्थित है	द० प० द०	१९६.००	१६.००	४.००	"
९३	ख० प्लॉट नं० ४०, ४१ व ४२ के कोने पर स्थित है	द० प० प०	९२.३०	२७२.३०	२.९०	"
९४	ख० प्लॉट नं० ३७, ४० व ४१ के कोने पर स्थित है	उ० प० प०	४९.३०	२२९.३०	४.५०	"
९५	ख० प्लॉट नं० ३९ व ४० की मेड़ पर है	द० प० प०	१२३.००	३०३.००	४.७०	"
९६	ख० प्लॉट नं० २४ व ३९ की मेड़ पर है	द० प० द०	२१३.००	३३.००	१.२०	"
९७	ख० प्लॉट नं० २४, ३३ व ३९ के कोने पर स्थित है	द० प० प०	१३१.००	३११.००	५.००	"
९८	ख० प्लॉट नं० २४ में स्थित है	द० प० द०	२०९.००	२९.००	२.७०	"
९९	ख० प्लॉट नं० २४, ३१ की मेड़ पर स्थित है	द० प० प०	११९.००	२९९.००	६.४०	"
१००	ख० प्लॉट नं० २४, २५ व २१७ के कोने पर स्थित है	उ० प० उ०	२८.३०	२०८.३०	८.१०	"
१०१	ख० प्लॉट नं० २३, २४ व २१७ के कोने पर स्थित है	उ० प० उ०	२७.००	२०७.००	८.००	"
१०२ से १	ख० प्लॉट नं० २३ व २१७ की मेड़ पर स्थित है	उ० प० उ०	२७.००	२०७.००	८.००	" चक बन्दहुआ।

सीमा वर्णन

वन सीमा बद्ध तालिका ग्राम/वन ब्लॉक बीबीपुर जलालाबाद ब्लॉक नं० २

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की अनुमानित दिशा	अगले स्तम्भ का अनुमानित चुम्बकी कोण		अगले स्तम्भ की नापी गयी अनुमानित दूरी (जरीबों में)	अगले स्तम्भ तक की सीमा की दशा	विशेष विवरण
			अभिमुख	पादर्व			
१	सीमांकन कार्य बन्दोबस्ती स्तम्भ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द, अशरफपुर तथा बीबीपुर जलालाबाद की सीमा पर स्थित है						
१	ग्राम बीबीपुर जलालाबाद तथा अशरफपुर की सीमा पर स्थित है	उ० प० प०	२८५.००	१०५.००	५.६०	सीधी लाइन	
२	"	उ० प० प०	२७६.००	९६.००	५.८०	"	
३	"	उ० प० प०	२७६.००	९६.००	६.००	"	
४	"	उ० प० प०	२९०.००	११०.००	४.५०	"	
५	ग्राम अशरफपुर, रतौद तथा बीबीपुर जलालाबाद की सीमा स्थित है यही बन्दोबस्ती स्तम्भ भी है	उ० प० उ०	३५५.००	१७५.००	४.७०	"	
६	ग्राम रतौद तथा बीबीपुर जलालाबाद की सीमा पर स्थित है	उ० प० उ०	३५५.००	१७५.००	४.००	"	
७	"	उ० प० उ०	३०.००	२१०.००	२.७०	"	
८	ख० प्लॉट नं० २२६ व २२७ की मेड़ पर स्थित है	द० प० प०	११८.००	२६८.००	४.००	"	

ख० प्लॉट नं० २२६, २२७ व २२८ के कोने पर स्थित है	द०पू०पू०	११७.००	२६७.००	३.५०	सीधी लाइन
१० ख० प्लॉट नं० २२८, २२९ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	३७.००	२१७.००	०.७०	"
११ ख० प्लॉट नं० २२८, २२९ व २३० के कोने पर स्थित है	द०पू०पू०	११६.००	२६६.००	५.२०	"
१२ ख० प्लॉट नं० २२८, २३० व २३१ के कोने पर स्थित है	उ०पू०पू०	५७.००	२३७.००	५.५०	"
१३ ख० प्लॉट नं० २३१ व २३४ की मेंड पर स्थित है	द०पू०पू०	१०५.००	२८५.००	१.८०	"
१४ ख० प्लॉट नं० २३१, २३४ व ७६३ के कोने पर स्थित है	द०पू०द०	१६६.००	३५६.००	१.००	"
१५ ख० प्लॉट नं० २३१, ७६३ व ७६६ के कोने पर स्थित है	उ०पू०पू०	७५.००	२५५.००	५.००	"
१६ ख० प्लॉट नं० ७६३, ७६५ व ७६६ के कोने पर स्थित है	द०प०द०	१६६.००	१६.००	५.००	"
१७ ख० प्लॉट नं० ७६५ व ७६६ की मेंड पर स्थित है	द०प०द०	१६६.००	१६.००	५.००	"
१८ ख० प्लॉट नं० ७६५ व ७६६ के कोने पर स्थित है	द०पू०पू०	११०.००	२६०.००	०.६०	"
१९से१ ख० प्लॉट नं० ७६५, ७६६ व ७६८ के कोने पर स्थित है	द०प०द०	२०५.००	२५.००	४.४०	"

चक बन्द हुआ।

वन सीमाबद्ध तालिका ग्राम/वन ब्लाक चक नं० १, बीबीपुर जलालाबाद ब्लाक नं० १

सीमांकन कार्य ख० प्लॉट नं० १६,

१७, १८ व १९ के कोने से

आरम्भ किया है यही डि-

मार्केशन पिलर नं० १ भी है।

१ ख० प्लॉट नं० १०, १६, १७ व १८ के कोने पर स्थित है	उ०पू०उ०	२६.३०	२०६.३०	३.१०	सीधी लाइन
२ ख० प्लॉट नं० १७, १८ की मेंड पर स्थित है	उ०पू०पू०	६२.३०	२४२.३०	५.१०	"
३ "	द०पू०पू०	१०६.००	२८६.००	७.६०	"
४ ख० प्लॉट नं० १६ व १६ के कोने पर स्थित है	द०प०प०	२३५.००	५५.००	८.५०	"
५ ख० प्लॉट नं० १५, १६, १७ व १६ के कोने पर है	उ०प०प०	२८६.००	१०६.००	६.७०	" चक बन्द हुआ

चक नं० २

सीमांकन कार्य ख० प्लॉट नं० ११

व १३ के कोने से आरम्भ किया

है यही डिमार्केशन पिलर नं०

१ है।

१ ख० प्लॉट नं० ११, १३ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	३१२.००	१३२.००	२.५०	सीधी लाइन
२ "	उ०पू०उ०	६.००	१८६.००	१.३०	"
३ "	उ०प०उ०	३३७.००	१५७.००	१.६०	"
४ ख० प्लॉट नं० १०, ११, १२ व १६ के कोने पर स्थित है	द०पू०पू०	११५.३०	२६५.३०	६.३०	"
५ ख० प्लॉट नं० ११, १३ व १४ के कोने पर स्थित है	द०प०प०	२३७.३०	५७.३०	३.७०	" चक बन्द हुआ

290

60	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४६६, ४११ व ४१४ के कोने पर है	उ० पू० उ०	३५.००	२१५.००	४.८०	सीधी लाइन
61	ख० प्लाट नं० ४६१, ४६५ व ४१४ के कोने पर है	द० पू० पू०	१२६.००	३०६.००	६.००	"
62	ख० प्लाट नं० ४५७, ४५६ व ४६१ व ४१५ के कोने पर है	ब० पू० पू०	११६.००	२६६.००	७.५०	"
63	ख० प्लाट नं० ४५७ व ४५८ के कोने पर है	उ० पू० उ०	२७.००	२०७.००	०.८०	"
64	ख० प्लाट नं० ४५३, ४५८ व ४५७ के कोने पर है	द० पू० पू०	१०१.३०	२८१.३०	१.३०	"
65	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४५३, ४५६ व ४५७ के कोने पर है	द० प० द०	१८२.३०	२.३०	५.००	"
66	ग्राम पावटी के खुर्द के ख० प्लाट नं० ४५६, ४५७ व ४३७ के कोने पर है	द० पू० पू०	६६.००	२७६.००	६.००	"
67	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४५६ व ४३६ की मंड पर है	द० पू० पू०	६६.००	२७६.००	५.००	"
68	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४३२, ४३८ व ४३६ के कोने पर है	द० पू०	१३५.००	३१५.००	८.१०	"
69	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४३१ व ४३२ व ४४८ के कोने पर है	उ० पू० उ०	३६.००	२१६.००	१.५०	"
70	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४२६, ४३१ व ४३२ के कोने पर है	द० पू० पू०	१३०.००	३१०.००	५.६०	"
71	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४२६, ४३० व ४३१ के कोने पर है	उ० पू० उ०	३२.३०	२१२.३०	४.००	"
72	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४२७, ४२८, ४२६ व ४३० के कोने पर है	उ० पू० पू०	५१.३०	२३१.३०	२.००	"
73	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४२४, ४२७ व ४२८ के कोने पर है	उ० प० प०	३१३.३०	१३३.३०	२.५०	"
74	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४२४, ४२८ के कोने पर है	उ० पू० उ०	२१.३०	२०१.३०	१.००	"
75	"	उ० प० प०	२६८.००	११८.००	१.२०	"
76	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४२३, ४२४ व ४२८ के कोने पर है	उ० पू० उ०	१५.००	१६५.००	४.००	"
77	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४१७, ४२३ व ४२४ के कोने पर है	उ० पू० उ०	४.३०	१८४.३०	५.१०	"
78	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ४००, ४१६, ४२४ के कोने पर है	उ० प० प०	४२.००	२२२.००	२.२५	"
79	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६८, ४०० व ४२४ के कोने पर है	उ० प० प०	२६६.००	११६.००	०.५०	"
80	से १ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६८, ३६६ व ४०० के कोने पर है	उ० पू० पू०	२०.००	२००.००	८.७०	"

चक बन्द हुआ।

रायगा वणम

वन सीमाबद्ध तालिका ग्राम/वन ब्लॉक पावटो खुर्द

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की स्थिति	प्रगले स्तम्भ की	प्रगले स्तम्भ का अनुमानित चुम्बकीय कोण		प्रगले स्तम्भ की मापी गई	प्रगले स्तम्भ तक की	विशेष विवरण
		अनुमानित दिशा	प्रथिम	पार्श्व	अनुमानित दूरी (जरीवों में)	सीमा की दशा	
१	२	३	४	५	६	७	८
ब्लॉक नं० १							
१	ग्राम पावटो खुर्द, ग्राम अशरफपुर तथा बीबीपुर जलालाबाद की सीमा पर स्थित है। यही बन्दोबस्ती स्तम्भ भी है, जिससे सीमांकन कार्य आरम्भ किया गया	उ०पू०पू०	८३.००	२६३.००	१.००	सीधी लाइन	
२	ग्राम पावटो खुर्द तथा ग्राम बीबीपुर जलालाबाद की सीमा पर स्थित है	द०पू०द०	१७७.००	३५७.००	४.००	"	
३	ग्राम पावटो खुर्द के ख० प्लॉट नं० २, १४ व १५ के कोने पर है	उ०पू०पू०	८४.००	२६४.००	६.४०	"	
४	" ख० प्लॉट नं० १२, १४ व १५ के कोने पर है	द०पू०द०	२२०.००	४०.००	८.५०	"	
५	" ख० प्लॉट नं० ५, १३ व १४ के कोने पर है	उ०पू०पू०	२८६.००	१०६.००	३.७५	"	
६	" ख० प्लॉट नं० ३, ४ व १४ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३२७.००	१४७.००	६.००	"	
७	" ख० प्लॉट नं० १, २ व ३ के कोने पर है	द०पू०पू०	२३०.००	५०.००	५.६०	"	
८	" ख० प्लॉट नं० १, ३ व ५ के कोने पर है	उ०पू०पू०	३०१.००	१२१.००	७.०६	"	
	ग्राम पावटो खुर्द व ग्राम अशरफपुर की सीमा पर है	उ०पू०उ०	४०.००	२२०.००	२.००	"	
१०	"	द०पू०पू०	१०१.००	२८१.००	८.८०	"	
११ से १	"	उ०पू०उ०	४२.००	२२२.००	३.३०	"	चर्क बन्द हुआ
ब्लॉक नं० २							
०	सीमांकन कार्य बन्दोबस्ती स्तम्भ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटो खुर्द, ग्राम अशरफपुर व ग्राम बरनावी की सीमा पर स्थित है	उ०पू०उ०	२८.००	२०८.००	११.५०	सीधी लाइन	
१	ग्राम पावटो खुर्द व ग्राम अशरफपुर की सीमा पर स्थित है	उ०पू०उ०	४१.००	२२१.००	३.००	"	
२	"	उ०पू०पू०	७२.३०	२५२.३०	५.६०	"	
३	"	द०पू०द०	१४३.३०	३२३.३०	५.६०	"	
४	ग्राम पावटो खुर्द के ख० प्लॉट नं० १४३, १४४ व १६१ के कोने पर है	द०पू०द०	१३६.००	३१६.००	६.००	"	
५	" ख० प्लॉट नं० १४५, १४६ व १६० के कोने पर है	उ०पू०पू०	५४.००	२३४.००	०.६०	"	
६	" ख० प्लॉट नं० १४५, १३६ व १४६ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३३६.००	१५६.००	१.१०	"	
७	" ख० प्लॉट नं० १३६, १३७ व १४५ के कोने पर है	उ०पू०पू०	४७.३०	२२७.३०	४.५०	"	
८	" ख० प्लॉट नं० १३६ व १३७ की मेड़ पर है	उ०पू०पू०	४७.३०	२२७.३०	५.००	"	
९	" ख० प्लॉट नं० ५६, ६३, १३६ व १३७ के कोने पर है	द०पू०पू०	१२६.३०	३०६.३०	५.१०	"	
१०	" ख० प्लॉट नं० ६३, ६४ व १३६ के कोने पर है	उ०पू०पू०	५८.००	२३८.००	५.३०	"	

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	मूल्य	अनुमानित	व्यय	टिप्पणी
११	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ६२ व ६४ की मंजू पर है	उ०पू०पू०	५५.००	२३५.००	५.००	सीधी लाइन
१२	ख० प्लाट नं० ५९, ५७, ६२ व ६४ के कोने पर है	द०पू०द०	१५१.००	३३१.००	५.८०	"
१३	ख० प्लाट नं० ५९, ६४ व ६६ के कोने पर है	प०	२७०.००	६०.००	१.३०	"
१४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ६४ व ६९ के कोने पर है	द०प०द०	१८७.३०	७.३०	१.४०	"
१५	ख० प्लाट नं० ६४, ६७ व ६९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३२३.००	१४३.००	१.४०	"
१६	ख० प्लाट नं० ६४ व ६७ के कोने पर है	द०प०प०	२४८.००	६८.००	१.५०	"
१७	ख० प्लाट नं० ६४, ६५ व ६७ के कोने पर है	द०पू०द०	१५५.००	३३५.००	१.५०	"
१८	ख० प्लाट नं० ६५, ६६ व ६७ के कोने पर है	द०प०द०	२०१.००	२१.००	५.००	"
१९	ख० प्लाट नं० ६५, ६६ व १३२ के कोने पर है	द०पू०पू०	११८.००	२९८.००	३.१८	"
२०	ख० प्लाट नं० ६६, ७० व १३२ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३७.००	२१७.००	४.६०	"
२१	ख० प्लाट नं० ६६, ६८ व ७० के कोने पर है	उ०पू०उ०	४०.००	२२०.००	४.४०	"
२२	ख० प्लाट नं० ५६, ६९ व ७० के कोने पर है	द०पू०पू०	१०२.३०	२८२.३०	७.००	"
२३	ख० प्लाट नं० ७०, ७२ व ७३ के कोने पर है	द०प०द०	१८२.३०	२.३०	३.३८	"
२४	ख० प्लाट नं० ७०, ७१ व ८७ के कोने पर है	द०पू०पू०	९२.३०	२७२.३०	२.२५	"
२५	ख० प्लाट नं० ७७, व ८७ के कोने पर है	उ०पू०उ०	२४.००	२०४.००	२.६०	"
२६	"	उ०पू०पू०	८७.००	२६७.००	७.४०	"
२७	ख० नं० प्लाट ७८, ८६ व ८७ के कोने पर है	द०पू०पू०	९३.००	२७३.००	१०.००	"
२८	ख० प्लाट नं० ७९, ८० व ८६ के कोने पर है	द०पू०पू०	११६.००	२९६.००	४.५०	"
२९	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८१ व ८२ की मंजू पर है	द०पू०पू०	९१.००	२७१.००	२.१०	"
३०	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम वेद खेड़ी की सीमा पर है	द०पू०द०	१७५.००	३५५.००	६.६०	"
३१	"	द०पू०पू०	१७४.००	३५४.००	८.००	"
३२	"	द०प०द०	१९४.३०	१४.३०	४.००	"
३३	ख० प्लाट नं० ९२ व ९३ के कोने पर है	उ०प०प०	३०७.००	१२७.००	३.२०	"
३४	"	उ०प०प०	३०५.००	१२५.००	०.९६	"
३५	"	द०प०द०	२१८.००	३८.००	२.४०	"
३६	ख० प्लाट नं० ९१, ९२ व ९३ तथा १०८ के कोने पर है	द०प०द०	१८३.००	३.००	२.१०	"
३७	ख० प्लाट नं० ९३ व १०८ की मंजू पर है	द०पू०द०	१७८.००	३५८.००	३.००	"
३८	ख० प्लाट नं० ९३ व १०८ की मंजू पर है	द०प०द०	१९१.००	११.००	१.५०	"
३९	ख० प्लाट नं० ९३ व १०८ के कोने पर है	उ०प०प०	२८३.००	१०३.००	१.३०	"
४०	"	द०प०प०	२४६.००	६६.००	०.७०	"
४१	"	द०प०द०	२१४.००	३४.००	२.५०	"

	२	३	४	५	६	७	८
४२ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ९१ व १०८ व १०९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३०९.००	१२९.००	१.२५	सीधी लाइन		
४३ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०८ व १०९ के कोने पर है	उ०प०उ०	२२.००	२०२.००	२.५०	"		
४४ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०८ व १०९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३५९.००	१७९.००	२.१५	"		
४५ " " के ख० प्लाट नं० १० व १०९ की मेंड पर है	उ०प०प०	३०६.००	१२६.००	०.८२	"		
४६ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १० व १०९ की मेंड पर है	द०प०प०	२६६.००	८६.००	१.२०	"		
४७ " " के ख० प्लाट नं० १० व १०९ के कोने पर है	द०प०प०	२६६.००	८६.००	२.००	"		
४८ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १० व १०९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३४३.००	१६३.००	३.००	"		
४९ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८९ व ९० के कोने पर है	द०प०द०	२०४.३०	२४.३०	२.७५	"		
५० ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८९ व ११४ के कोने पर है	उ०प०प०	२९७.००	११७.००	१.००	"		
५१ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८९ व ११४ के कोने पर है	उ०प०उ०	३.००	१८३.००	४.००	"		
५२ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८९ व ११४ के कोने पर है	उ०प०प०	२८६.३०	१०६.३०	३.००	"		
५३ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८८, ८९ व ११९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३३७.००	१५७.००	१.७०	"		
५४ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८७, ८८ व ८९ के कोने पर है	द०प०द०	२१२.००	३२.००	४.५०	"		
५५ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८७, ८८ व ११९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३३५.३०	१५५.३०	१.६०	"		
५६ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८७, ११९ व १२० के कोने पर है	उ०प०प०	२९०.००	११०.००	५.००	"		
५७ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८७ व १२० की मेंड पर है	उ०प०प०	२९०.००	११०.००	५.००	"		
५८ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ७०, ८७ व १२२ के कोने पर है	द०प०द०	१९१.३०	११.३०	३.४०	"		
५९ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १२८, १२९, १३२ के कोने पर है	उ०प०प०	२८५.००	१०५.००	२.४०	"		
६० ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १२८, १२९ की मेंड पर है	द०प०प०	२३३.००	५३.००	४.८०	"		
६१ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १२८ व १२९ की मेंड पर है	द०प०द०	२१४.००	३४.००	४.२५	"		
६२ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १२८, १२९ के कोने पर है	उ०प०प०	३०५.३०	१२५.३०	१.४०	"		
६३ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १२८, १२९ व १३० के कोने पर है	द०प०द०	२१८.००	३८.००	५.३०	"		
६४ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १३१ व २५० के कोने पर है	द०प०द०	२००.३०	२०.३०	५.००	"		
६५ " " के ख० प्लाट नं० १३१, २१२ व २५० के कोने पर है	द०प०प०	२६३.००	८३.००	५.५५	"		
६६ " " के ख० प्लाट नं० १३१, २१२ व २५० के कोने पर है	उ०प०प०	३११.००	१३१.००	७.००	"		

	२	३	४	५	६	७	८
६७	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १३१, १५१ व २१२ के कोने पर है	उ०पू०उ०	४०.००	२२०.००	४.७०	सीधी लाइन	
६८	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १३१, १५१ व १५० के कोने पर है	उ०प०प०	२८४.००	१०४.००	१.००	"	
६९	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १५०, १५१ व १५२ के कोने पर है	उ०प०प०	३०७.००	१२७.००	५.९०	"	
७०	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १५१, १५२, १५३ के कोने पर है	उ०पू०पू०	१.००	१८१.००	३.८०	"	
७१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १५२, १५७ व १५८ के कोने पर है	उ०प०उ०	३५७.००	१७७.००	५.००	"	
७२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १४६, १४७ व १५८ के कोने पर है	द०प०प०	२६९.३०	८९.३०	३.१०	"	
७३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १५९, १६० व १६२ के कोने पर है	द०पू०द०	१६७.००	३४७.००	२.७५	"	
७४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १५९, १६२ व १६५ के कोने पर है	पश्चिम	२७०.००	९०.००	१.००	"	
७५	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १६२, १६४, १६५ के कोने पर है	उ०प०उ०	३४९.००	१६९.००	२.५०	"	
७६	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १६२ व १६४ के कोने पर है	उ०प०उ०	३२५.००	१४५.००	४.७५	"	
७७	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १६२, १६३ व १६४ के कोने पर है	द०प०द०	२१८.००	३८.००	१.५०	"	
७८	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १६३, १६४ व १७९ के कोने पर है	उ०प०प०	३१२.००	१३२.००	३.७५	"	
७९	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १६३, १८१ व १८२ के कोने पर है	उ०प०उ०	३२२.००	१४२.००	४.७५	"	
८०	से १ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १६३, १८२ व १८४ के कोने पर है	उ०प०प०	३१३.००	१३३.००	५.३०	"	चक बन्द हुआ।

ब्लॉक नम्बर ३

०	सीमांकन कार्य ब्लॉक नं० २ के पिलर नं० ६७ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १३१, १५१ व २१२ के कोने पर है	द०प०द०	२२४.००	४४.००	५.१०	सीधी लाइन	
१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० २१४, २१५, २४६ व २४७ के कोने पर है	उ०प०प०	३१०.००	१३०.००	३.००	"	
२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० २१५, २१८ व २२० के कोने पर है	उ०पू०पू०	५४.००	२३४.००	४.५०	"	

३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० २१५, २१६ व २१८ के कोने पर है	द० पू० पू०	१२८.००	३०८.००	२.३०	सीधी लाइन
४ से १	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० २१४, २१५ व २१६ के कोने पर है	द० प० प०	२२८.३०	४८.३०	४.५०	चक बन्द हुआ।

ब्लाक नं० ४

०	सीमांकन कार्य ब्लाक नं० २ के पिलर नं० ६६ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० १३१, २१२ व २५० के कोने पर है	द० प० द०	२१३.००	३३.००	५.३०	सीधी लाइन
१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० २१३, २४८ व २५० के कोने पर है	द० प० द०	२१८.००	३८.००	७.००	"
२	" ख० प्लॉट नं० २४८ व २५० के कोने पर है	द० पू० पू०	१११.३०	२६१.३०	१.००	"
३	" ख० प्लॉट नं० २४८, २४९ व २५० के कोने पर है	द० प० द०	२१३.००	३३.००	१.८०	"
४	" ख० प्लॉट नं० २४८ व २४९ के कोने पर है	उ० प० प०	२७८.००	६८.००	१.५०	"
५	"	द० प० द०	२०६.३०	२६.३०	१.००	"
६	"	द० पू० पू०	६६.००	२७६.००	२.००	"
७	" ख० प्लॉट नं० २४८, २४९ व २५० के कोने पर है	द० प० प०	२३३.००	५३.००	३.००	"
८	" ख० प्लॉट नं० २४३, २४७ व २४८ के कोने पर है	उ० पू० उ०	३.००	१८३.००	१०.६०	"
९ से १	" ख० प्लॉट नं० २१४, २४७ व २४८ के कोने पर है	द० पू० पू०	६६.००	२७६.००	६.५०	चक बन्द हुआ।

ब्लाक नं० ५

०	सीमांकन कार्य ब्लाक नं० २ के डिमारकेशन पिलर नं० ५५ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ८७० व ११६ के कोने पर है	द० प० द०	२०५.००	२५.००	६.६०	सीधी लाइन
१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ११६, ११७, १२३ व १२४ के कोने पर है	द० पू० पू०	१३२.००	३१२.००	३.००	"
२	" ख० प्लॉट नं० ११६, १२४ व ३१३ के कोने पर है	द० प० प०	२३६.००	५६.००	५.००	"
३	" ख० प्लॉट नं० ३०८ व ३०९ की मेंड पर है	उ० प० प०	२६३.००	११३.००	६.००	"
४ से १	" ख० प्लॉट नं० १२६, १२४ व २७६ के कोने पर है	उ० पू० पू०	७४.००	२५४.००	७.८०	चक बन्द हुआ।

ब्लाक नं० ६

०	सीमांकन कार्य ब्लाक नं० २ के डिमारकेशन पिलर नं० ४८ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ६० व १०६ के कोने पर है	द० प० प०	२३०.००	५०.००	१.००	सीधी लाइन
---	---	----------	--------	-------	------	-----------

१	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ११३, ११० व १०६ के कोने पर है	द०पू०पू०	६३.००	२७३.००	१.७५	सीधी लाइन
२	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६ व ११० की मंड़ पर है	उ०पू०पू०	८८.००	२६८.००	१.८०	"
३	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६ व ११० के कोने पर है	द०पू०द०	१६१.००	२४१.००	१.६५	"
४	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६ व ११० की मंड़ पर है	द०प०द०	२०३.३०	२३.३०	३.४०	"
५	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६, ११० व ३१७ के कोने पर है	द०प०प०	२३१.००	५१.००	१.३०	"
६	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ११०, ३१७ के कोने पर है	उ०प०प०	३१२.३०	१३२.३०	२.६०	"
७	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ११०, १११ व ३१७ के कोने पर है	उ०पू०उ०	४३.००	२२३.००	०.४५	"
८	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ११० व १११ कोने पर है	उ०प०उ०	३२०.००	१४०.००	२.५०	"
९, से १	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ११०, १११ व ११३ के कोने पर है	उ०पू०उ०	५०.००	२३०.००	२.८५	" चक बन्द हुआ ।

ब्लॉक नं० ७

०	सीमांकन कार्य ब्लॉक नं० २ के पिलर नं० ३२ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुद व ग्राम वेदखेड़ी की सीमा पर है	द०पू०पू०	१३१.३०	३११.३०	१.४०	सीधी लाइन
१	ग्राम पावटी खुद व ग्राम वेदखेड़ी की सीमा पर है	द०पू०द०	१३७.००	३१७.००	१.८०	"
२	"	द०प०द०	१६०.००	१०.००	४.००	"
३	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ६४ व ६८ की मंड़ पर है	"	२०५.३०	२५.३०	७.१०	"
४	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०४ व १०५ की मंड़ पर है	"	१६७.००	१७.००	७.००	"
५	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०५, ३५५ व ३६० के कोने पर है	उ०प०प०	२६४.३०	११४.३०	६.४०	"
६	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०५, ३२१ व ३२४ के कोने पर है	उ०प०उ०	३२०.००	१४०.००	१.४०	"
७	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०५, ३२१ व ३२० के कोने पर है	उ०पू०पू०	४७.००	३२७.००	३.३०	"
८	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०५, १०६ की मंड़ पर है	उ०प०प०	२२७.३०	६७.३०	३.६०	"
९	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६, ३१६ व ३२० के कोने पर है	उ०प०उ०	३२२.००	१४२.००	२.२५	"
१०	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६ व ३१८ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३७.००	२१७.००	२.२५	"
११	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६, १०६ व ३१८ के कोने पर है	"	३१.००	२११.००	३.४०	"
१२	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ६३ व १०६ के कोने पर है	द०पू०द०	१११.००	२६१.००	१.८०	"

१	२	३	४	५	६	७	८
१३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ६३, ६४ व १०६ के कोने पर है	उत्तर	३६०.००	१८०.००	५.००	सीधी लाइन	
१४	ग्राम पावटी के खुर्द ख० प्लाट नं० ६३ व ६४ की मेंड पर है	उ०पू०उ०	१५.३०	१६५.३०	३.२०	"	
१५	ग्राम पावटी के खुर्द ख० प्लाट नं० ६३ व ६४ के कोने पर है	द०पू०पू०	१२३.३०	३०३.३०	४.२०	"	
१६ से १	"	उ०पू०उ०	२२.००	२०२.००	४.२०	"	चक बन्द हुआ।

ब्लाक नं० ८

०	सीमांकन कार्य ब्लाक नं० ७ पिलर नं० ४ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०४ व १०५ की मेंड पर है	उ०पू०पू०	७०.३०	२५०.३०	८.००	सीधी लाइन	
१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०४ व १००, ६८ व १०५ के कोने पर है	उ०पू०पू०	८०.००	२६०.००	३.२०	"	
२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ६८, ६६ व १०० के कोने पर है	द०पू०द०	१५६.००	३३६.००	१.६०	"	
३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ६६ व १०० के कोने पर है	द०पू०पू०	१३०.००	३१०.००	२.००	"	
४	ग्राम पावटी खुर्द के व ग्राम वेद खेड़ी की सीमा पर स्थित है	द०प०द०	२२०.००	४०.००	०.४०	"	
५ से १	"	उ०प०प०	२६०.००	११०.००	४.००	"	चक बन्द हुआ।

ब्लाक नं० ९

०	सीमांकन कार्य ब्लाक नं० ७ के पिलर नं० ५ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०५, ३६० व ३५५ के कोने पर है	उ०पू०पू०	७६.००	२५६.००	६.३६	सीधी लाइन	
१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०४, ३६२, ३६३ व ३६४ के कोने पर है	उ०पू०उ०	२७.३०	२०७.३०	५.६०	"	
२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०३, १०४, ३६४ व ३६५ के कोने पर है	द०पू०पू०	११७.००	२६७.००	२.६०	"	
३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६५, ३६४, ३६६ व ३६६ के कोने पर है	द०प०प०	२३३.००	५३.००	२.२५	"	
४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६४, ३६६ व ३७० के कोने पर है	"	२६८.००	८८.००	१.५०	"	
५	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६४ व ३७० की मेंड पर है	द०प०द०	१८३.००	३.००	३.००	"	
६ से १	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६३, ३६४ व ३७० के कोने पर है	उ०प०प०	२६६.००	११६.३०	३.२५	"	चक बन्द हुआ।

0	सीमांकन कार्य न्लाक नं० ७ के प्लॉट नं० ५ से प्रारम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०५, ३५५ व ३६० के कोने पर है	द०पू०पू०	१२५.००	३०५.००	१२.५०	सीधी लार्डन
१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३८३, ३६० व ३६८ के कोने पर है	द०पू०पू०	१२३.००	३०३.००	२.२५	"
२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७८, ३८३ व ३६८ के कोने पर है	उ०पू०पू०	५२.००	२३२.००	५.५०	"
३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७८, ३८०, ३८१ व ३८२ के कोने पर है	द०पू०द०	१५३.००	३३३.००	३.००	"
४	ग्राम पावटी के ख० प्लाट नं० ३७७, ३७८ व ३७६ के कोने पर है	द०पू०पू०	१२६.००	३०६.००	२.७५	"
५	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७६, ३७७, ३७८ व ३६८ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३२.००	२१२.००	१.७०	"
६	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७५, ३७६ व ३७७ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३२२.००	१४२.००	२.३०	"
७	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७५, ३७७ व ३७६ के कोने पर है	उ०पू०	४५.००	२२५.००	०.५०	"
८	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७५ व ३७६ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३२५.००	१४५.००	६.७५	"
९	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७१, ३७४ व ३७५ के कोने पर है	"	३२६.००	१४६.००	३.५०	"
१०	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६८, ३७० व ३७१ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३९.००	२१९.००	३.३०	"
११	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम वेद खेड़ी की सीमा पर है	द०पू०द०	१५५.००	३३५.००	५.७०	"
१२	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम वेद खेड़ी की सीमा पर है	द०पू०द०	१५५.००	३३५.००	८.००	"
१३	ग्राम पावटी खुर्द, ग्राम वेद खेड़ी तथा ग्राम तारापुर की सीमा पर है। यही बन्दोबस्ती स्तम्भ है	द०पू०द०	२११.००	३१.००	७.००	"
१४	ग्राम पावटी खुर्द तथा ग्राम तारापुर की सीमा पर है	"	१९५.००	१५.००	६.६०	"
१५	ग्राम पावटी खुर्द, ग्राम तारापुर तथा ग्राम बीबीपुर हटिया की सीमा पर है। यही बन्दोबस्ती स्तम्भ है	"	१९०.००	१०.००	५.००	"
१६	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बीबीपुर हटिया की सीमा पर है	"	१९०.००	१०.००	६.००	"
१७	"	"	२१६.००	३६.००	५.६०	"
१८	"	द०पू०पू०	२३२.००	५२.००	५.००	"
१९	"	"	२३२.००	५२.००	६.७०	"

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	मूल्य	अनुमानित मूल्य	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
२०	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बीबीपुर हटिया की सीमा पर है	उ०प०उ०	३२२.००	१४२.००	२.७५	सीसी जाइन
२१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ४३०, ५५४ के कोने पर है	द०प०प०	२४६.००	६६.००	०.६०	"
२२	" ख० प्लॉट नं० ४३०, ५४९ व ५५४ के कोने पर है	उ०प०प०	३०१.३०	१२१.३०	३.५०	"
२३	" ख० प्लॉट नं० ५४८, ५४९ की मेंड़ पर है	उ०प०उ०	३२३.००	१४३.००	८.००	"
२४	" ख० प्लॉट नं० ५४६, ५४७ व ५४८ के कोने पर है	उ०पू०उ०	२७.००	२०७.००	१.४०	"
२५	" ख० प्लॉट नं० ५३९, ५४६ व ५४८ के कोने पर है	उ०प०प०	३०६.००	१२६.००	१.००	"
२६	" ख० प्लॉट नं० ५३९ व ५४६ के कोने पर है	द०प०द०	२१३.३०	३३.३०	०.७०	"
२७	" ख० प्लॉट नं० ५३६, ५४५ व ५४६ के कोने पर है	उ०प०प०	३०१.००	१२१.००	२.००	"
२८	" ख० प्लॉट नं० ५३९, ५४४ व ५४५ के कोने पर है	उ०प०प०	२९६.००	११६.००	५.५०	"
२९	" ख० प्लॉट नं० ५३९, ५४० की मेंड़ पर है	उ०प०प०	३००.००	१२०.००	५.४०	"
३०	" ख० प्लॉट नं० ५३७, ५३८ व ५३९ के कोने पर है	द०प०द०	२०८.००	२८.००	२.५०	"
३१	" ख० प्लॉट नं० ५३७, ५३८ व ५३५ के कोने पर है	द०पू०पू०	११६.३०	२९६.३०	५.५०	"
३२	" ख० प्लॉट नं० ५४१ व ५४२ की मेंड़ पर है	द०पू०पू०	११६.३०	२९६.३०	५.००	"
३३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५४२, ५४४, ५५० के कोने पर है	द०प०द०	२१४.००	३४.००	३.६०	"
३४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५३५, ५४२, ५५० व ५५२ के कोने पर है	द०पू०पू०	११४.३०	२९४.३०	१.३०	"
३५	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५५०, ५५१ व ५५२ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३४.३०	२१४.३०	१.४०	"
३६	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५५० व ५५१ के कोने पर है	द०पू०पू०	१२२.३०	३०२.३०	९.००	"
३७	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५४९, ५५२ व ५५३ के कोने पर है	द०प०द०	१९०.००	१०.००	४.००	"
३८	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बीबीपुर हटिया की सीमा पर है	द०प०प०	२६६.००	८६.००	२.७५	"
३९	"	द०प०प०	२२६.३०	४६.३०	३.४०	"
४०	"	उ०प०उ०	३३०.००	१५०.००	५.२०	"
४१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५३४ व ५५२ की मेंड़ पर है	उ०प०प०	३०२.३०	१२२.००	४.५०	"
४२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५३४, ५३५ व ५५२ के कोने पर है	द०प०द०	२०३.००	२३.००	४.५०	"
४३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५३३ व ५३५ के कोने पर है	द०प०प०	२६६.००	८६.००	७.००	"
४४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५३२ व ५३३ के कोने पर है	द०पू०पू०	१३१.००	३११.००	७.७०	"

४५	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बीबीपुर हटिया की सीमा पर है	द०प०प०	२२८.००	४८.००	८.००	सीधी लाइन
४६	"	उ०प०प०	२८०.००	१००.००	५.७०	"
४७	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम हटिया व ग्राम बलाबी की सीमा पर है और यही बन्दोबस्ती पत्थर भी है	उ०पू०उ०	२६.००	२०९.००	५.४०	"
४८	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५२६, ५२७ व ५३२ के कोने पर है	उ०प०प०	२९०.००	११०.००	२.२५	"
४९	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५२५, ५२६ व ५२७ के कोने पर है	उ०प०प०	२९०.००	११०.००	४.००	"
५०	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बरनाबी की सीमा पर है	उ०प०उ०	३२८.००	१४८.००	३.६०	"
५१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५२३, ५२४ व ५२५ के कोने पर है	उ०प०प०	२८७.३०	१०७.६०	१.४०	"
५२	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बरनाबी की सीमा पर है	उ० प० उ०	३२४.३०	१४४.३०	६.१०	"
५३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५२१ व ५२२ की मंड पर है	द० प० प०	२६४.००	८४.००	१.८०	"
५४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५२०, ५२१ व ५२२ के कोने पर है	द० प० द०	१६४.००	१४.००	१.७५	"
५५	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बरनाबी की सीमा पर है	द० प० प०	२५०.३०	७०.३०	१.६०	"
५६	"	उ० प० प०	३०६.००	१२६.००	५.४०	"
५७	"	उ० प० प०	३१२.००	१३२.००	४.००	"
५८	"	उ० प० प०	२६३.००	११३.००	५.५०	"
५९	"	उ०पू०उ०	४४.००	२२४.००	८.५०	"
६०	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५०१, ५०२ व ५०५ के कोने पर है	उ० प० उ०	३२४.००	१४४.००	५.२०	"
६१	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बरनाबी की सीमा पर है	उ० पू० पू०	५६.००	२३६.००	३.५०	"
६२	" ख० प्लाट नं० ५०० व ५०१ के कोने पर है	द० पू० पू०	१३०.००	३१०.००	३.००	"
६३	" ख० प्लाट नं० ५०० व ५०१ के कोने पर है	उ० पू० पू०	८३.००	२६३.००	४.००	"
६४	" पावटी खुर्द व ग्राम बरनाबी के ख० प्लाट नं० ५००, ५०१, ५०५ व ५०६ के कोने पर है	द० प० द०	१४२.००	३२२.००	४.५०	"
६५	" ख० प्लाट नं० ५०५, ५०७ व ५१७ के कोने पर है	द० पू० पू०	११३.३०	२६३.३०	५.३०	"
६६	" ख० प्लाट नं० ५०७, ५१६, ५१४ व ५१७ के कोने पर है	उ० पू० उ०	१२.००	१६२.००	३.३०	"
६७	" ख० प्लाट नं० ५११, ५१३ व ५१४ के कोने पर है	उ० प० प०	२६७.००	११७.००	१.००	"
६८	" ख० प्लाट नं० ५११, ५१२, ५१३ के कोने पर है	उ० पू० उ०	२३.००	२०३.३०	१.३०	"
६९	" ख० प्लाट नं० ५११, ५१२, ५१६ के कोने पर है	द० पू० पू०	१०४.००	२८४.००	२.००	"

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, 301 शामली वन प्रभाग, शामली।

(एलओ १५-१०)

पत्रांक 1584 / 14-1

दिनांक, शामली 29-01-2025

ANNEXURE-11

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद शामली।

विषय:- Amit Kumar Versus UOI & Other, NGT Case O.A No. 915/2024

सन्दर्भ:- मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1013/14-1 दिनांक 06.12.2024 व पत्रांक 1123/14-1 दिनांक 17.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि श्री अमित कुमार द्वारा मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में रिट ओ०ए० संख्या-915/2024 दायर की गयी है। जिसके अनुपालन में मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से 08.11.2024 को सर्वे पूर्ण कराने हेतु समय की मांग की गई थी। जिसके क्रम में मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा 27.02.2025 अगली सुनवाई हेतु नियत की गयी है। महोदय, अभी तक इस पत्र के निर्गत होने से वर्तमान तक 70 दिनों में केवल 4 दिन (05.12.2024 व 18.12.2024 व 26.12.2024 व 16.01.2024) दिन ही राजस्व टीम मौके पर सर्वे करने पहुँची हैं। इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय वन अधिकारी कैराना एवं ऊन SDM कैराना से व्यक्तिगत रूप से मिलकर पैमाइश की कार्यवाही शीघ्र कराने हेतु वार्ता की गयी, जिसके पश्चात SDM कैराना द्वारा दिनांक 04.01.2025 को वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया एवं निर्देश दिया गया कि दिनांक 09.01.2025 से राजस्व टीम निरन्तर पैमाइश हेतु जायेगी। लेकिन उसके पश्चात भी राजस्व टीम मात्र 1 दिन ही दिनांक 16.01.2025 को मौके पर उपस्थित हुई। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अतिक्रमण क्षेत्र को चिह्नित कर मिट्टी की ढुल्ली सीमा पर बना दी जाये, अतिक्रमण कब्जा बाद में हटाया जायेगा।

अतः महोदय, उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त ग्रामों का सर्वे कराने हेतु उपजिलाधिकारी कैराना एवं ऊन को पैमाइश कार्यों में सहयोग के लिए अपने स्तर से निर्देशित करना चाहे, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि रिट ओ०ए० संख्या-915/2024 में वादी द्वारा भारत सरकार, उ०प्र० शासन, जिलाधिकारी शामली एवं प्रभागीय वनाधिकारी शामली को प्रतिवादी बनाया गया है। अतः महोदय, उक्त प्रकरण में आपका ध्यान अपेक्षित है।

o/c

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
Sk शामली

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, 302^{री} वन प्रभाग, शामली।

पत्रांक 1123 /14-1 दिनांक, शामली 17-12-2024।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद शामली।

विषय:- Amit Kumar Versus UOI & Other, NGT Case O.A No. 915/2015

संदर्भ:- मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1013/14-1 दिनांक 06.12.2024

महोदय,
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि श्री अमित कुमार द्वारा मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में रिट ओ0ए0 संख्या-915/2024 दायर की गयी है। जिसके अनुपालन में मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से 08.11.2024 को सर्वे पूर्ण कराने हेतु समय की मांग की गई थी। जिसके कम में मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा 27.02.2025 अगली सुनवाई हेतु नियत की गयी है। महोदय उक्त सर्वे हेतु तहसीलदार कैराना द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0-1272RC दिनांक 20.09.2024 द्वारा टीम का गठन किया गया है, टीम द्वारा अभी तक दम्भेडी बुजुर्ग में सर्वे/सीमांकन कार्य पूर्ण किया गया है, उसके पश्चात तहसीलदार कैराना द्वारा गठित सर्वे टीम एक साथ सर्वे हेतु उपस्थित नहीं हुई, केवल ग्राम बरनावी व बीबीपुर जलालाबाद के हल्का लेखपाल द्वारा अकेले ही वन विभाग की टीम के साथ कुछ दिन आंशिक रूप से सर्वे किया गया है, महोदय, उपरोक्त रिट में कुल 08 ग्रामों की भूमि के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। जिसमें सर्वे कार्य पूर्ण कर नियत तिथि से पूर्व प्रतिउत्तर हेतु भंवरपाल सिंह जादौन स्थायी अधिवक्ता (शासन द्वारा नामित) को मा0 न्यायालय के समक्ष पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराना अतिआवश्यक है। जिसके सम्बन्ध में विभाग के सर्वेयर के द्वारा राजस्व विभाग/लेखपाल कैराना एवं ऊन से सम्पर्क किया गया जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनकी ड्यूटी किसान कैम्प में लगाई गयी है, उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सर्वे/सीमांकन का कार्य माह दिसम्बर के बाद किया जा सकता है।

अतः महोदय, उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त ग्रामों का सर्वे कराने हेतु उपजिलाधिकारी कैराना एवं ऊन को पैमाईश कार्यों में सहयोग के लिए अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि रिट ओ0ए0 संख्या-915/2024 में वादी द्वारा भारत सरकार, उ0प्र0 शासन, जिलाधिकारी शामली एवं प्रभागीय वनाधिकारी शामली को भी प्रतिवादी बनाया गया है। अतः महोदय, उक्त प्रकरण में आपका ध्यान अपेक्षित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद-शामली

पत्रांक:- (013 / 14-1)

शामली, दिनांक- 06-12-2024

सेवा में,
जिलाधिकारी
जनपद शामली।

विषय:- Amit Kumar Versus UOI & Others, NGT Case O.A.No. 915/2024.
सन्दर्भ:- मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2024।

महोदय,

निवेदन के साथ सादर अवगत कराना है कि श्री अमित कुमार द्वारा मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में रिट सं0 ओ0ए0 915/2024 दायर की गयी थी जिसके अनुपालन में माननीय न्यायालय NGT से 08.11.2024 को सर्वे पूर्ण कराने हेतु समय की मांग की गई थी जिसके क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2025 अगली सुनवाई हेतु नियत की गयी है, महोदय उक्त सर्वे कार्य हेतु तहसीलदार कैराना द्वारा अपने पत्रांक सं0 1272RC दिनांक 20.09.2024 द्वारा टीम गठित की गयी है, टीम द्वारा अभी तक दमैडी बुजुर्ग में सर्वे कार्य पूर्ण किया गया है, उसके पश्चात तहसीलदार कैराना द्वारा गठित सर्वे टीम एक साथ सर्वे हेतु उपस्थित नहीं हुई, केवल ग्राम बरनावी व बीबीपुर जलालाबाद के हल्का लेखपाल द्वारा अकेले ही वन विभाग की टीम के साथ कुछ दिन आंशिक रूप से सर्वे कार्य किया गया है; महोदय रिट में कुल 08 ग्रामों की भूमि के संबंध में उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वे कार्य पूर्ण कर नियत तिथि से पूर्व प्रतिउत्तर हेतु भंवरपाल सिंह जादोन स्थायी अधिवक्ता (शासन द्वारा नामित) को मा0 न्यायालय के समक्ष अभिलेख उपलब्ध कराना अतिआवश्यक है।

अतः उपरोक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त ग्रामों का सर्वे कराने हेतु उपजिलाधिकारी कैराना एवं उन को पैमाइश कार्यों में सहयोग के लिए अपने स्तर से निर्देशित करें, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि रिट सं0 ओ0ए0 915/2024 में वादी द्वारा भारत सरकार, उ0प्र0शासन, जिलाधिकारी शामली, प्रभागीय वनाधिकारी शामली को भी प्रतिवादी बनाया गया है।


प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग,
शामली

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली

पत्रांक 519 / 35-3

दिनांक 27-09-24

सेवा में

जिलाधिकारी
जनपद शामली

विषय - माननीय न्यायालय NGT, नई दिल्ली में वन भूमि के अतिक्रमण के संदर्भ में दायर रिट पिटीशन संख्या 915 ऑफ 2024 का जवाब दाखिल करने हेतु।

महोदय

आपको सांंदर अवगत कराना है की उपरोक्त विषयक के अनुपालन में राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसीलदार कैराना के द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल की एक टीम गठित की गई थी जो वन विभाग के सर्वेयर के साथ संयुक्त रूप से अतिक्रमित वन भूमि के चिन्हिकरण का कार्य करेगी जिसके अनुपालन में दिनांक 23/09/24 को गाँव दभेड़ी बुजुर्ग ऊन रेंज में वन भूमि का निरीक्षण कर अतिक्रमित भूमि को चिन्हित किया गया था और अवशेष वन भूमि का चिन्हिकरण अगले दिवस में किया जाना था, किन्तु उक्त गाँव के हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु मौके पर नहीं पहुँचा गया, जिसकी सूचना तहसीलदार कैराना को दी गई थी की वन विभाग का सर्वेयर एवं अन्य वनकर्मी ग्राम दभेड़ी बुजुर्ग में आपके कर्मचारियों का इंतजार कर रहे है लेकिन उनके द्वारा भी उक्त दिनांक को राजस्व की टीम मौके पर नहीं भेजा गया जिस कारण गाँव दभेड़ी बुजुर्ग में अतिक्रमित वन भूमि के चिन्हिकरण का कार्य रूका हुआ है। यह भी उल्लेख करना है की दिनांक 24/09/24 एवं 25/09/24 को गाँव बरनावी में तहसीलदार कैराना के आदेश पर केवल लेखपाल श्री राजीव वर्मा उपस्थित हुए और राजस्व विभाग की टीम का कोई भी अन्य कर्मचारी वन भूमि की पैमाइश हेतु उपस्थित नहीं हुआ जिस कारण बरनावी वन ब्लॉक में भी चिन्हिकरण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। इसके पश्चात दिनांक 27/09/24 को भी राजस्व का विभाग की गठित टीम से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। इस संदर्भ में जब लेखपाल पावटी खुर्द से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा स्वयं उपस्थित न होकर रिकार्ड के साथ अपने एक निजी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय भेज दिया गया। माननीय न्यायालय में दायर वाद में प्रतिउत्तर दाखिल किए जाने की प्राथमिकता के दृष्टिगत राजस्व विभाग की टीम एवं वन विभाग की टीम को संयुक्त रूप से आदेशित किया गया है किन्तु राजस्व विभाग द्वारा गठित टीम के द्वारा उक्त कार्य में न तो रुचि ली जा रही है और न ही वन विभाग के सर्वेयर का सहयोग जिनकी तैनाती मुख्य

वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र मेरठ के द्वारा विशेषतः इसी कार्य हेतु मात्र 20 दिनों के लिए लगाई गई है, किया जा रहा है, अतः उक्त के क्रम में आप से अनुरोध है कि माननीय NGT न्यायालय में प्रतिउत्तर दाखिल किए जाने की समयबद्धता के दृष्टिगत तहसीलदार कैराना को कड़े निर्देश निर्गत करना चाहिए।

भवदीय


प्रभागीय वनाधिकारी
(शामली वन प्रभाग)